राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल से पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त परियोजनाओं के तकनीकी परीक्षण हेतु राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की 638वीं बैठक दिनांक 18/04/2023 को डॉ. पी.सी. दुबे की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें समिति के निम्नलिखित सदस्य स्वयं/वीडियों कॉफ्रेसिंग के माध्यम से उपस्थित रहें :--

- 1. श्री राघवेन्द्र श्रीवास्तव, सदस्य ।
- 2. प्रो. (डॉ.) रूबीना चौधरी, सदस्य ।
- 3. डॉ. ए.के. शर्मा, सदस्य ।
- 4. प्रो. अनिल प्रकाश, सदस्य ।
- 5. डॉ. जय प्रकाश शुक्ला, सदस्य ।
- डॉ. रवि बिहारी श्रीवास्तव, सदस्य ।
- 7. श्री चन्द्र मोहन ठाकुर, सदस्य सचिव ।

सभी सदस्यों द्वारा अक्ष्यक्ष महोदय के स्वागत के साथ बैठक प्रारंभ करते हुए बैठक के निर्धारित एजेण्डा अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त प्रोजेक्ट्सों का तकनीकी परीक्षण निम्नानुसार किया गया :-

1. <u>Case No 9363/2022 M/s Baerlocher India Additives Pvt. Ltd, Shri Akhilesh Kumawat, India Operation Head, Plot No. 2 & 2 - C, Industrial Area 2 & 3, AB Road, Dist. Dewas, MP - 455001, Prior Environment Clearance for Expansion of Manufacturing of Metallic Stearates & Intermediate Liquid Metal Soaps at Plot No. 2 & 2 - C, Industrial Area 2 & 3, AB Road, Dist. Dewas, , MP</u>

This is case of Prior Environment Clearance for Expansion of Manufacturing of Metallic Stearates & Intermediate Liquid Metal Soaps at Plot No. 2 & 2 - C, Industrial Area 2 & 3, AB Road, Dist. Dewas, MP For capacity expansion from 65,500 MTPA to 1,38,700 MTPA. In Cat. -5 (f).

Earlier this case was presented by Env. Consultant Shri Shubham Dubey from M/s. Envisolve LLP, Indore and PP Shri Abhishek Kumawat in 611th SEAC meeting dated 14/11/22 wherein ToR was recommended. PP has submitted the EIA report through portal.

The case was presented by Env. Consultant Shri Shubham Dubey from M/s. Envisolve LLP, Indore and PP Shri Ritesh Kumar, Head India Operations. During presentation PP submitted that previos EC was obtained in the year 2020 and now they are proposing expansion from 65,500 MTPA to 1,38,700 MTPA. The plant is located in the notified industrial area of Dewas. During presentation PP submitted that they have obtained certified compliance report from compitent authority wherein no NCs are reported. During presentation PP further submitted that they are working for carbon neutral as IS-14062 standards and shared with the committee about the activities conducted under this task.

Committee appreciated the efforts proposed and made by PP towards becoming carbon neutral and asked PP to share the complete document and report when achieved so that other industries can also be motivated for the same. During presentation PP submitted that in our process we have provided all required engineering controls along with secondary containment, so as to avoid any chemicals/ Effluents accidently flowing into the storm water drain and plant is based on ZLD. (50 KLD ETP followed by 50 KLD RO, MEE & ATFD with TVR technology) Hence no water will be discharged outside the premises. The effluent water is reused in manufacturing, utility and plantation. Storm water drain is separate and not connected to ETP/ MEE Line. PTZ cameras are also installed on storm drain outlet and connected to PCB Server. Solvent used as a RM in a batch & is 100% mixed in finished goods and no solvent generation/loss during the process.During presentation committee suggested that road sweping machine shall be deployed to reduce the fugitive emissions during construction and operations of the project. PP submitted the carbon footprint has been calculated considering both construction activities and at operational stage. PP submitted the rain water harvesting is also proposed to enhance GW potential considering water loss due to plant erection on vacant land. After presentation and submissions made by PP were found to be satisfactory and acceptable hence the case is recommended for grant of Prior Environment Clearance for Proposed Capacity Expansion of Solid & liquid stabilizers/ Metallic Soaps with existing products Solid & liquid stabilizers/ Metallic Soaps, Metallic Stearates and Intermediate Liquid Metal Soaps by Baerlocher India Additives Pvt. Ltd (BIAPL)at Plot No. 2&2 C, Industrial Area No. 2&3, A.B. Road, Dewas (MP)., Cat.-5(f). Subject to the following special conditions and products:

Sr No	Type of Product	Existing capacity Qty/Year (Mt)	Proposed Expansion Qty/Year (Mt)	Total After expansion Qty/ Year (Mt)
1	Solid Stabilizer/Metallic Soaps	61000	40000	101000
2	Liquid Stabilizer/ Metallic Soaps	4500	10000	14500
3	Solid Metallic Stearates	20000	0	20000
4	Intermediate Liquid Metal Soaps	3200	0	3200

(A) Statutory compliance:

- 1. The project proponent shall obtain Consent to Establish/Operate under the provisions of Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 and the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 from the Madhya Pradesh Pollution Control Board (MPPCB).
- 2. The project proponent shall obtain authorization under the Hazardous and other Waste Management Rules, 2016 as amended from time to time.
- 3. The Company shall strictly comply with the rules and guidelines under Manufacture, Storage and Import of Hazardous Chemicals (MSIHC) Rules, 1989 as amended time to time. All transportation of Hazardous Chemicals shall be as per the Motor Vehicle Act (MVA), 1989.

(B) Air quality monitoring and preservation

- 1. The project proponent shall install 24x7 continuous emission monitoring system at process stacks to monitor stack emission with respect to standards prescribed in Environment (Protection) Rules 1986 and connected to MPPCB and CPCB online servers and calibrate these system from time to time according to equipment supplier specification through labs recognized under Environment (Protection) Act, 1986 or NABL accredited laboratories.
- 2. The project proponent shall monitor fugitive emissions in the plant premises at least once in every quarter through labs recognized under Environment (Protection) Act, 1986.
- 3. To control source and the fugitive emissions, suitable pollution control devices shall be installed to meet the prescribed norms and/or the NAAQS. The gaseous emissions from the boiler, DG set and scrubber shall be dispersed through stack of adequate height as per CPCB/SPCB guidelines as follows:

Sr. No	Boiler/ DG sets	Capacity	Stack Height (Meter)	APCM
1.		3 Ton	30	1
	Boiler	4.5 Ton		Multi cyclone separator followed by dust collector
		6 Ton	30	-
2.	DG	500 KVA	10	Adequate Stack Height
		1010 KVA	30	
3.	DG (Standby)	500 KVA	10	
	(Standby)	1010 KVA	30	Adequate Stack Height
		1500 KVA	30	
		(Future		

		Proposed)		
4.	Process	-	30	HEPA filter, Bag Filter,
	Stack			Cartridge filters, Scrubber.

- 4. Storage of raw materials, chemicals etc shall be either stored in silos or in covered areas to prevent dust pollution and other fugitive emissions.
- 5. The DG sets (2x500 kVA each existing)&(proposed 2x1010 kVA each& 01x1500 kVA) shall be equipped with suitable pollution control devices and the adequate stack height so that the emissions are in conformity with the extant regulations and the guidelines in this regard.
- 6. National Emission Standards for Organic Chemicals Manufacturing Industry issued by the Ministry vide G.S.R. 608(E) dated 21st July, 2010 and amended from time to time shall be followed.
- 7. The National Ambient Air Quality Emission Standards issued by the Ministry vide G.S.R. No. 826(E) dated 161h November, 2009 shall be complied with.

(C) Water quality monitoring and preservation

- 1. The project proponent shall provide online continuous monitoring of effluent, the unit shall install web camera with night vision capability and flow meters in the channel/drain carrying effluent within the premises.
- 2. "Zero Liquid Discharge" shall be ensured using ETP (50-KLD), RO(50-KLD), MEE & ATFD (9-KLD) and no waste/treated water shall be discharged outside the premises. PP should also install Internet Protocol PTZ camera with night vision facility along with minimum 05X zoom and data connectivity must be provided to the MPPCB's server for remote operations.
- 3. The effluent discharge shall conform to the standards prescribed under the Environment (Protection) Rules, 1986, or as specified by the Madhya Pradesh Control Board while granting Consent under the Air/Water Act, whichever is more stringent.
- 4. Total fresh water requirement shall not exceed 342 KLD and as proposed, in case, if in-house bore or tube well is required, than CGWA permission shall be obtained before extracting ground water.
- 5. Process effluent/any wastewater shall not be allowed to mix with storm water. The storm water from the premises shall be collected and discharged through a separate conveyance system.
- 6. The Company shall harvest rainwater, after taking permission from State Pollution Control Board, from the roof tops of the admin buildings. Process building, raw material and finished goods storage building shall not be used for ground water recharging.
- 7. Dedicated power supply shall be ensured for uninterrupted operations of treatment systems.

(D) Noise monitoring and prevention

- 1. Acoustic enclosure shall be provided to DG sets (2x1010 kVA each& 01x 1500 kVA) for controlling the noise pollution.
- 2. The overall noise levels in and around the plant area shall be kept well within the standards by providing noise control measures including acoustic hoods, silencers, enclosures etc. on all sources of noise generation.
- 3. The ambient noise levels should conform to the standards prescribed under E(P)A Rules, 1986 viz. 75 dB(A) during day time and 70 dB(A) during night time.

(E) Energy Conservation measures

- 1. The energy sources for lighting purposes shall preferably be LED based.
- 2. The total power requirements for project will be 8650KVA.
- 3. The power will be supplied by Madhya Pradesh Electricity Board.

(F) Waste management

- 1. Hazardous chemicals shall be stored in tanks, tank farms, drums, carboys etc. Flame arresters shall be provided on tank farm and the solvent transfer through pumps.
- 2. Hazardous waste such as Used oil, Discarded containers/drums, shall be handled & disposed as per the Hazardous & Other waste (Management & Transboundary Movement) Rules, 2016as follows:

Category	Description	Existing	Proposed	Total after Expansion (MT)	Mode of Storage	Mode of Disposal
33.1	Empty barrels/containe rs/liners contaminated with hazardous chemicals /wastes	30	20	50	As Such	Co-Processing/ Disposal – CTSDF/ Sale to Authorized recycler
35.1	Exhaust air or gas cleaning residue	0.5	2.5	3	Packed in bags	Co-Processing/ Disposal – CTSDF/ Sale to Authorized recycler
35.2	Spent ion Exchange resin	0.05	0.45	0.5	Packed in bags	Co-Processing/ Disposal – CTSDF/ Sale to Authorized

						recycler
35. 3	Chemical Sludge form Waste water treatment	30	20	50	Packed in bags	Disposal – CTSDF/Co- Processing,
5.1	Used Spent Oil	2.5	3	5.5	Packed in drums	Sale to Authorized recycler
5.2	Waste residue containing Oil	1	4	5	Packed in bags	Sale to Authorized recycler
22.2	Residue of additives used in plastics manufacture (Stabilizers)	0	60	60	Packed in bags	Co-Processing/ Disposal – CTSDF/ Sale to Authorized recycler
36.2	Filter Paper & residue containing oil (Spent Carbon or filter medium)	0	30	30	Packed in bags	Co-Processing/ Disposal - CTSDF

- 3. If any Flammable, ignitable, reactive and non-compatible wastes should be stored separately and never should be stored in the same storage shed.
- 4. Automatic smoke, heat detection system should be provided in the sheds. Adequate firefighting systems should be provided for the storage area.
- 5. In order to have appropriate measures to prevent percolation of spills, leaks etc. to the soil and ground water, the storage area should be provided with concrete floor of inert material or steel sheet depending on the characteristics of waste handled and the floor must be structurally sound and chemically compatible with wastes.
- 6. Measures should be taken to prevent entry of runoff into the storage area. The Storage area shall be designed in such a way that the floor level is at least 150 mm above the maximum flood level.
- 7. The storage area floor should be provided with secondary containment such as proper slopes as well as collection pit so as to collect wash water and the leakages/spills etc.

- 8. Storage areas should be provided with adequate number of spill kits at suitable locations. The spill kits should be provided with compatible sorbent material in adequate quantity.
- 9. Recent MSDS of all the chemicals used in the plant be displayed at appropriate places.
- 10. Proper firefighting arrangements in consultation with the fire department should be provided against fire incident.
- 11. All the storage tanks of raw materials/products shall be fitted with appropriate controls to avoid any spillage / leakage. Bund/dyke walls of suitable height shall be provided to the storage tanks. Closed handling system of chemicals shall be provided.
- 12. Log-books shall be maintained for disposal of all types hazardous wastes and shall be submitted with the compliance report.
- 13. ETP sludge, process inorganic salt shall be disposed off to the TSDF.

(G) Green Belt

1. BIAPL has done plantation in around 53853 square meters i.e., 33% of the total area wherein 1703 tress of different species is already planted in and around the facility and 600 are proposed to be planted as follows:-

Species	Existing	Proposed	Total after Expansion
Saagwan	2	1	3
Badaam	2	5	7
Chandan	1	10	11
Highgus	8	1	9
Babul	8	5	13
Imli	4	1	5
Sheesham	2	2	4
Bel Ptra	4	20	24
Kaner/conocarpus	323	50	373
Neem	158	100	258
Pipal	100	150	250
Gulmohar	118	100	218
Ashoka	557	15	572
Palm	121	10	131
Nimbu	28	20	48
Ber	32	7	39
Mango/Aaam	62	30	92

Champa	70	30	100
Eucalyptus	10	3	13
Amrud	15	20	35
Aavla	20	20	40
Other	58	00	58
Total	1703	600	2303

- 2. The green belt of 5-10 m width shall be developed near the total project area, mainly along the plant periphery, in downward wind direction and along road sides etc. Selection of plant species shall be as per the CPCB guide lines in consultation with the State Forest Department.
- 3. Peripheral plantation all around the project boundary shall be carried out using tall saplings of minimum 2 meters height of species which are fast growing with thick canopy cover preferably of perennial green nature. 33% Plantation already has been developed by PP. PP will also make necessary arrangements for the causality replacement and maintenance of the plants.

(H) Safety, Public hearing and Human health issues

- 1. Emergency preparedness plan based on the Hazard identification and Risk Assessment (HIRA) and Disaster Management Plan shall be implemented.
- 2. The unit shall make the arrangement for protection of possible fire hazards during manufacturing process in material handling. Fire fighting system shall be as per the norms.
- 3. The PP shall provide Personal Protection Equipment (PPE) as per the norms of Factory Act.
- 4. Training shall be imparted to all employees on safety and health aspects of chemicals handling. Pre-employment and routine periodical medical examinations for all employees shall be undertaken on regular basis. Training to all employees on handling of chemicals shall be imparted.
- 5. Provision shall be made for the housing of construction labour within the site with all necessary infrastructure and facilities such as fuel for cooking, mobile toilets, mobile STP, safe drinking water, medical health care, creche etc. The housing may be in the form of temporary structures to be removed after the completion of the project.
- 6. Occupational health surveillance of the workers shall be done on a regular basis and records maintained as per the Factories Act.
- 7. There shall be adequate space inside the plant premises earmarked for parking of vehicles for raw materials and finished products, and no parking to be allowed outside on public places.

(I) Corporate Environment Responsibility

- 1. The project proponent shall comply with the provisions contained in this Ministry's OM vide F.No. 22-65/2017-IA.III dated 1st May 2018, as applicable, regarding Corporate Environment Responsibility.
- 2. The company shall have a well laid down environmental policy duly approve by the Board of Directors. The environmental policy should prescribe for standard operating procedures to have proper checks and balances and to bring into focus any infringements/deviation/violation of the environmental/ forest/ wildlife norms/ conditions. The company shall have defined system of reporting infringements / deviation / violation of the environmental / forest / wildlife norms / conditions and or shareholders /stake holders. The copy of the board resolution in this regard shall be submitted to the MoEF&CC as a part of six-monthly report.
- 3. A separate Environmental Cell both at the project and company head quarter level, with qualified personnel shall be set up under the control of senior Executive, who will directly to the head of the organization.
- 4. Fund should be exclusively earmarked for the implementation of EMP through a separate bank account.
- 5. The proposed EMP cost is Rs. 534.5 lakhs and 39.25 lakhs/year as recurring cost and out of which the Environment Monitoring Cost for the project is 1.5 lakhs and Rs. 04 lakhs is proposed for green belt development.
- 6. Under CER activity, capital cost is Rs. 35 lakhs proposed for different activities as mentioned below:

	DETAILS	Total Cost in Lakhs	No of Year	Year wise implementation and Budgetary provision during Operation phase 1st year 2nd year 3rd year		
1	Construction of Water pond & Habitat development at Kheoni wild life sactuary in consultation with local DFO.	10	01	10	NIL	NIL
2	Organizing Medical Camp (such as for oral health, Dental check-up, Eye checking and spec distributio) nearby Pipri, Udainagar and three other villages.	05	03	02	1.5	1.5

3	Tree plantation at Tekri with consultation of Local DFO.	05	03	01	01	03
4	Infrastructure development (renovation of building furniture, Classroom, Shed library, fans,	10	03	3.5	3.5	03
5	Maintenance/Remediation of water pond at Nagda village- Sidhivinayak Ganesh Mandir	05	03	1.5	1.5	02
	Total	35.00		18	7.5	9.5

- 7. Action plan for implementing EMP and environmental conditions along with responsibility matrix of the company shall be prepared and shall be duly approved by competent authority. The year wise funds earmarked for environmental protection measures shall be kept in separate account and not to be diverted for any other purpose. Year wise progress of implementation of action plan shall be reported to the Ministry/Regional Office along with the Six-Monthly Compliance Report.
- 8. Self-environmental audit shall be conducted annually. Every three years third party environmental audit shall be carried out.

X. Miscellaneous

- 1. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC.
- 2. The project authorities must strictly adhere to the stipulations made by the MP Pollution Control Board and the State Government.
- 3. The project proponent shall abide by all the commitments and recommendations made in the EIA/EMP report, commitment made during Public Hearing and also that during their presentation to the Expert Appraisal Committee.
- 4. No further expansion or modifications in the plant shall be carried out without prior approval of the Ministry of Environment, Forests and Climate Change (MoEF&CC).
- 5. The above conditions shall be enforced, inter-alia under the provisions of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974, the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981, the Environment (Protection) Act, 1986, Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 and the Public Liability Insurance Act, 1991 along with their amendments and Rules and any other orders passed by the Hon'ble Supreme Court of India/ High Courts and any other Court of Law relating to the subject matter.

2. Case No 9303/2022 M/s Lucky Mining, Partner, Shri Ritesh Rathore, 60, Railway Station Road, Dist. Dewas, MP, Prior Environment Clearance for Stone & M-Sand Mine in an area of 1.380 ha. (Stone - 10000 cum per annum, M-sand - 5000 cum per annum) (Khasra No. 460/1, 460/2, 500/1, 500/2) Village - Pitawali, Tehsil - Dewas, Dist. Dewas, (MP) Green Circle Vadodara (Guj.)

This is case of Stone & M-Sand Mine. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 460/1, 460/2, 500/1, 500/2) Village - Pitawali, Tehsil - Dewas, Dist. Dewas, (MP) 1.380 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की बैठक क्रमांक 594वीं दिनांक 21/09/2022 में टॉर (TOR) की अनुशंसा की गई थी । राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ई.आई.ए. रिपोर्ट राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) को ऑन लाईन प्रेषित की गई है।

आज दिनांक 18 / 04 / 23 को परियोजना प्रस्तावक श्री रितेश राठौर (ऑनलाईन) और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार श्री रामराघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी., बड़ौदरा, गुजरात उपस्थित हुए। प्रस्तुतीकरण के दौरान अनुमोदित माइन प्लॉन में उल्लेखित अक्षांश-देशांस के आधार पर गूगल एमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान निजी भूमि पर आवंटित है जिसके पूर्व दिशा में 120 मीटर पर कच्चा रोड़ तथा दक्षिण दिशा में 325 मीटर पर पक्का रोड है । प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि अपलोडिड गूगल इमेज प्रकरण के साथ संलग्न खनन् योजना में दर्शित खसरा मेप के अनुरूप नही है जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि ई.सी. का आवेदन अपलोड करते समय गलत इमेज अपलोड हो गई है जो प्रकरण क्रमांक 8912/21 की जिसकी ई.सी. भी हो चुकी है अतः इस प्रकरण में टॉर के समय अपलोडिड गूगल इमेज सही मानी जाये क्योंकि वह भी ऑन लाईन उपलब्ध है तथा हम वचन देते है कि भविष्य इस तरह की गलती नहीं होगी । प्रकरण के प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि (गूगल एमेज अनुसार) इस क्षेत्र से लगे हुये माइनिंग क्षेत्र में पर्यावरणीय अभिस्वीकृति प्राप्त खदानों द्वारा ई.सी. की शर्तो का पालन होना परिलक्षित नहीं हो रहा है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि इस खदान की जनसूनवाई के दौरान गांव के लोगो द्वारा रोजगार, धूल मिट्टी न उड़े इसके लिये जल छिड़काव की व्यवस्था, वृक्षारोपण, खदान के चारो ओर फेंसिंग, पीने के पानी व्यवस्था, स्कूल में सहयोग इत्यादि बिन्दुओं पर सुझाव/आपत्तियां प्रस्तुत की गई जिसके संबंध में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इनकों ई.एम.पी. / सीईआर मे समुचित बजट प्रावधान के साथ शामिल किया गया है। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खनिज परिवहन के दौरान लगातार सडक पर लगातार जल छिडकाव किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज 38 सरल क्रमांक 05 पर दर्ज है लेकिन अक्षांस-देशांस दर्ज नही है अतः अनुमोदित खनन् योजना में दिये गये अक्षांश-देशांस के आधार पर प्रकरण का एप्राईजल किया गया । परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत

की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्ती एवं स्टेण्डर्ड शर्ती संलग्नक–ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :--

- 1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता स्टोन 10,000 मी³ प्रति वर्ष, एम—सेंड — 5,000 मी³ प्रति वर्ष ।
- 2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 17.15 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 03.01 लाख प्रति वर्ष ।
- 3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 01.40 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :--

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
ग्राम पितावली के प्राथमिक शासकीय विद्यालय की मरम्मत करवाकर उक्त विद्यालय में पुताई करवाई जावेगी ।	50,000
किसानों के लिए पीने के पानी की सुविधा हेतु निकटतम ग्राम पितावली में ग्राम पंचायत के माध्यम से हैंडपंप लगवाने साथ ही साथ कांक्रीटिंग करवाकर पानी के निकासी हेतु उचित व्यवस्था तथा रिचार्ज पिट बनवाया जावेगा बनवाने हेतु ग्राम पंचायत के माध्यम से योगदान।	50,000
नजदीकी ग्राम पितावली के मवेशियों के लिए पंचायत के माध्यम से स्वास्थ शिविर का आयोजन साल में 2 बार करवाया जावेगा ।	20,000
ग्राम पितावली के जो की खदान में कार्यरत है उन्हें को "उज्ज्वला योजना" के तहत एलपीजी गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाए जावेंगे।	20,000
योग	1,40,000 / -

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 1670 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

क.	वृक्षारोपण हेतु स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा
1.	बैरियर जोन	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:— नीम, पीपल, पुत्रंजीवा, करंज, चिरोल, जंगल जलेबी, सिस्सू, कदम, खमेर आमला, आम, जामुन, अमरुद,आदि।	700
2.	परिवहन मार्ग (पोड़ों की न्यूनतम् ऊँचाई 01 मीटर)	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:— नीम, पीपल, पुत्रंजीवा, करंज, चिरोल, सिस्सू, कदम आदि।	270
3.	आसपास के ग्रामीणों में वितरण	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः— आमला, आम, जामुन, अमरुद, सीताफल, अनार, कटहल , मुनगा , फलदार पौधे आदि।	700
		योग	1670

3. Case No 9370/2022 M/s J.K.Cement Ltd, Unit - J.K.White, Unit Head, Shri Ganesh Sahu, Village Rupaund, Tehsil - Badwara, Dist. Katni, MP Prior Environment Clearance for Dolomite Quarry in an area of 9.13 ha. (Dolomite - 110075 Tonne per annum, Sub-grade - 15,725 Tonne per annum) (Khasra No. 74/1, 74/2, 85/1, 85/2, 85/3, 86, 87/1, 87/2, 169/1, 169/2), Village - Bhaganwara, Tehsil - Badwara, Dist. Katni (MP)

This is case of Dolomite Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 74/1, 74/2, 85/1, 85/2, 85/3, 86, 87/1, 87/2, 169/1, 169/2), Village - Bhaganwara, Tehsil - Badwara, Dist. Katni (MP) 9.13 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की बैठक क्रमांक 603वीं दिनांक 04/11/2022 में टॉर (TOR) की अनुशंसा की गई थी । राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ई.आई.ए. रिपोर्ट राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) को ऑन लाईन प्रेषित की गई है।

आज दिनांक 04/11/22 को परियोजना प्रस्तावक श्री गणेश साहू, यूनिट हेड (ऑनलाईन) और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार श्री उमेश मिश्रा, मेसर्स किएटिव इन्वायरों सर्विसेस, भोपाल उपस्थित हुए । परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान के दक्षिण-पश्चिम दिशा में 45 मीटर पर एक पक्का रोड़, दक्षिण-पूर्व दिशा में 10 मीटर पर कच्चा रोड़ एवं पूर्व दिशा में 225 मीटर पर आबादी है, जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि पक्की रोड़ की ओर आवंटित खनन् क्षेत्र माईनेबल नहीं है इसलिए सेटलिंग टेक एवं वृक्षारोपण प्रस्तावित किया गया है जिस कारण रोड़ से 100 मीटर की दूरी तक खनन् नही किया जायेगा । प्रश्नाधीन खदान में कुछ पेड़ लगे दिख रहे है, जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि आवंटित खनन् क्षेत्र में 11 पेड़ लगे है जिसमे से 08 पेड़ काटे जायेगे तथा उनके एवज में 80 पेड़ महुआ के लगाये जायेगे । परियोजना प्रस्तावक ने प्रस्तुतीकरण के दौरान यह भी बताया कि उनके द्वारा पूर्व में ही 250 पेड़ो का वृक्षारोपण किया जा चुका है जिसमें से 100 पेड़ खनन् क्षेत्र में तथा 150 पेड़ आस–पास के गांव में लगाये गये है जिनके फोटोग्राफ प्रस्तुतीकरण में संलग्न है । प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि लीज क्षेत्र में 120 टन / घंटा का क्रेशर स्थापित किया जायेगा, जिसमें वायु प्रदूषण की रोकथाम लिए सक्षम व्यवस्था की जावेगी। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज 66 सरल क्रमांक 08 पर दर्ज है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि इस खदान की जनसूनवाई के दौरान गांव के लोगो द्वारा रोजगार, धूल मिटटी न उडे इसके लिये जल छिडकाव की व्यवस्था, वृक्षारोपण, पक्की सडक, गांव हेत् पीने का पानी, खदान के चारो ओर फेंसिग, गांवं के विकास हेतु कार्य एवं घाट पर सुधार कार्य इत्यादि बिन्दुओं पर सुझाव / आपित्तियां प्रस्तुत की गई जिसके संबंध में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इनको ई.एम.पी. / सीईआर मे समुचित बजट प्रावधान के साथ शामिल किया गया है। समिति ने अनुशंसा की कि बारवेड वॉयर फेंसिंग के स्थान पर गेमप्रूफ फेंसिंग की जाये, जिस हेतु परियोजना

प्रस्तावक ने बताया कि ई.एम.पी. में गेमप्रूफ फेंसिंग का प्रस्ताव दिया गया है । प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खनिज परिवहन के दौरान लगातार सड़क पर लगातार जल छिड़काव किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक—ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :—

- अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता डोलोमाईट 1,10,075 टन प्रति वर्ष, एवं सब ग्रेड – 15,725 मी³ प्रति वर्ष ।
- 2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 30.97 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 11.24 लाख प्रति वर्ष ।
- 3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 15.50 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

Commit	Commitment towards public hearing Issue in terms of Physical Target					
SN	Issues	Cost in RS				
1	Maintenance and up-gradation of Shankar Ghat (Contraction of 4 steps cemented Ghat having 15 mtrs length at river bank)	Rs 2.50				
	Provision of road from Devri hatai road to Bhagangawa Village in consultation with Gram Panchayat	Rs 5.00				
3	Provision of Drinking water facility (01 bore well at village Bhaganwara	Rs 1.0 Lacs				
4	Solar lights installation at Bhganwara village (7no.)	Rs 2.00				
5	Fund for wild life habitat devvelopment and employee welfare activities for Bandhavgarh Tiger Reserve.	Rs 5.00				
Total		Rs 15.50 Lacs				

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 9580 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

Plant Species For Mine Area, Transportation Road And Village Distribution			
Phase	Location	Name of Tree	No. of Plants
	In barrier zone (1542m *7.5m = 11265sqm) 4 row plantation	Karanj, Pipal, Khamer, Neem, Sissoo, Aam, Bans, Sitafal, White Kastar and other local species	3900
From 3 rd year	Backfilled area	Karanj, Pipal, Khamer, Neem, Sissoo, Aam, Bans, Sitafal, White Kastar and other local	4500

		species	
In first Year	Non Mining Zone	Mahua	80
In First Year	For distribution of villagers	Neem, Mango, Awala, Munga, Jamun, Amrood, and other local species etc. At Keolari village	1000
In first year	Along the transport route (200 mtrs) 2.5m distance with 1m height	Jamun, Arjun, Khamar, Neem, Gular, Kadamb, Sisoo, Karanj, Pipal, and other local species	100
		Total	9580

4. <u>Case No 9151/2022 Smt. Kalibai Wasunia, Owner Village - Guani Khalsa, Tehsil - Ujjain, Dist. Ujjain MP Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 7.0 ha. (2,00,000 cum per annum) (Khasra No. 311), Village - Guani Khalsa, Tehsil - Ujjain, Dist. Ujjain (MP) Consultant Shri Amit Saxena Apex Mintech Udaypur (Rj.)</u>

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site at (Khasra No. 311), Village - Guani Khalsa, Tehsil - Ujjain, Dist. Ujjain (MP) 7.0 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की बैठक क्रमांक 570वीं दिनांक 11/05/2022 में टॉर (TOR) की अनुशंसा की गई थी । राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ई.आई.ए. रिपोर्ट राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) को ऑन लाईन प्रेषित की गई है।

आज दिनांक 18 / 04 / 23 को परियोजना प्रस्तावक श्री कालीवाई बसुनिया, यूनिट हेड (ऑनलाईन) उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री अमित सक्सेना एवं सुश्री रीना त्रिवेदी (ऑनलाईन) मेसर्स एपेक्स मिनटेक कांसल्टेंट, उदयपुर उपस्थित हुए।

प्रस्तुतीकरण के दौरान अनुमोदित माइन प्लॉन में उल्लेखित अक्षांश—देशांस के आधार पर खदान शासकीय भूमि पर आवंटित है तथा गूगल इमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान के दक्षिण दिशा में 230 मीटर पर कच्चा रोड़ है। प्रकरण के प्रस्तुतीकरण के दौरान यह पाया गया कि लीज क्षेत्र बीच से खुदा हुआ है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया उनको खदान नवम्बर, 21 में आवंटित हुई है तथा आवंटन के पूर्व से ही यह क्षेत्र खुदा हुआ है जिसमें पहले अस्थाई अनुज्ञा पर कार्य हुआ है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया इसका विवरण अनुमोदित माइन प्लॉन में दिया गया है जिसमें 4,02,528 घनमीटर पत्थर का

उत्खनन हो चुका है तथा उसे सरफेस मेप पर भी दिखाया गया है। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि उनके द्वारा संबंधित खनिज शाखा से भी इस संबंध में जानकारी प्राप्त की गई है जिसमें उन्होने पत्र क्रमांक 933 दिनांक 06/04/23 के माध्यम से सूचित किया है कि जो पिट दृष्टिगत हो रहा है वह पूर्व में आवंटित एक अस्थाई अनुज्ञा का है । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि आवंटित खनन् क्षेत्र में पिट के कारण 2.80 हे. में पानी भरा है जिसका भविष्य में उपयोग खनन् कार्य हेतु आवश्यक गतिविधियों में किया जायेगा । सिमति ने पाया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा टॉर 2,00,000 घन मीटर प्रतिवर्ष हेतु प्राप्त किया गया तथा ई.आई.ए के साथ प्रस्तुत फार्म—1 में क्षमता 20,000 घन मीटर प्रतिवर्ष उल्लेखित है जिसके संदर्भ में प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि गलती से फार्म—1 में क्षमता 20,000 घन मीटर प्रतिवर्ष उल्लेखित है जबकि बाकी सभी अन्य दस्तावेजो जैसे टॉर, जनसुनवाई, पी.एफ.आर, ई.आई.ए. इत्यादि में उत्पादन क्षमता 2,00,000 घन मीटर प्रतिवर्ष उल्लेखित है अतः उसी को माना जाये ।

प्रकरण के प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि (गूगल एमेज अनुसार) इस क्षेत्र से लगे हुये माइनिंग क्षेत्र में पर्यावरणीय अभिस्वीकृति प्राप्त खदानों द्वारा ई.सी. की शर्तो का पालन होना परिलक्षित नहीं हो रहा है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि इस खदान की जनसुनवाई के दौरान गांव के लोगो द्वारा रोजगार, धूल मिट्टी न उड़े इसके लिये जल छिड़काव की व्यवस्था, वृक्षारोपण, इत्यादि बिन्दुओं पर सुझाव/आपत्तियां प्रस्तुत की गई जिसके संबंध में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इनको ई.एम.पी. / सीईआर मे समुचित बजट प्रावधान के साथ शामिल किया गया है। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खनिज परिवहन के दौरान लगातार सड़क पर लगातार जल छिड़काव किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में सरल कमांक 02 पर दर्ज है किंतु माईनिग प्लान तथा डी.एस.आर. के कोऑर्डिनेट अलग—अलग है। इस संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि उनके द्वारा खनिज अधिकारी से पुनरीक्षित डी.जी.पी.एस. कोआर्डिनेट प्राप्त किये गये है जो उनके पत्र कमांक 957 दिनांक 12/04/23 के द्वारा प्रमाणित कर जारी किये गये है तथा यह उल्लेखित किया गया है कि इनको आगामी डी.एस. आर. में अपडेट किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से सिमित द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक—ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:—

- 1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता स्टोन 2,00,000 मी³ प्रति वर्ष ।
- 2. पर्योवरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 39.52 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 04.42 लाख प्रति वर्ष ।
- 3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 01.40 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
शासकीय प्राथमिक विद्यालय गुणाई खेड़ा में रंग रोगन, बच्चो को पाठ्यसामग्री एवं गणवेश दिए जायेंगे	1,00,000

ग्राम गुणाई खालसा के आंगनवाड़ी केंद्र में फर्श का कार्य एवं रसोई घर का निर्माण किया जायेगा	2,00,000
योग	1,40,000 / -

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 8400 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

क.	वृक्षारोपण हेतु स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा
1.	बैरियर जोन	नीम, पीपल, कनार, करंज, चिरोल, जंगल जलेबी, सिस्सु आदि।	550
2.	परिवहन मार्ग (पोड़ों की न्यूनतम् ऊँचाई 01 मीटर)	नीम, पीपल, कचनार, करंज, कदम, चिरोल, आदि	1500
3.	गुनाई खालसा, उमरिया, पिपलिया, गुण्डई, सुतली गांवो के प्राथमिक शासकीय विद्यालय में	नीम, पीपल, कचनार, करंज, कदम, चिरोल, आदि	2500
4.	गुनाई खालसा, उमरिया, पिपलिया, गुण्डई, सुतली गांवो में वितरण	आम, जामुन, अमरूद, आंवला, अनार, निम्बू, इमली, कटहल, सीताफल आदि	3850
		योग	8400

5. Case No 9808/2023 M.P. Water resources Department, O/o Engineer-in-Chief, Jal sansadhan Bhawan, Tulsi Nagar, Bhopal (MP)-462003, Prior Environment Clearance for Hot Pipaliya Micro Lift Irrigation Project [under River Valley and Hydroelectric Projects] in an area of 129903 ha. at Villages of Dewas, Bagli & Kannod Tehsil of Dewas District and Barwaha Tehsil of Khargone District (MP)

This is case of Prior Environment Clearance for Hot Pipaliya Micro Lift Irrigation Project [under River Valley and Hydroelectric Projects] in an area of 129903 ha. at Villages of Dewas, Bagli & Kannod Tehsil of Dewas District and Barwaha Tehsil of Khargone District (MP)

The case was presented by the Mr. Ravinder Bhatia, (Online) Env. Consultant from M/s. R. S. Envirolink Technologies Pvt. Ltd, Gurgaon (Haryana) along with PP Shri L.S. Jadone, Executive Engineer, WRD, Dewas (MP) wherein PP stated that Hat Pipaliya Micro Lift Irrigation Project is planned to cater 129903 ha CCA in 462 villages of Dewas, Bagli &

Kannod tehsils of Dewas district and Barwah tehsil of Khargone district, Madhya Pradesh. The supply of source is Narmada River (Indira Sagar Reservoir) in which two lifting point have been identified one is near village Bankapalas in Khandwa district and other is near Village Phatehgarh in Dewas district. The construction of balancing reservoirs are proposed in Bagli tehsil, where, the already existing Koop tank and Chandrakeshar tanks are proposed to be upgraded for 65MCM and 42.56MCM capacity from existing 2.35MCM and 30.06MCM capacity. Since the project involves 264.0 ha., forest area, F.C. clearance has to be obtained by PP and copy of the same should be submitted with EIA report. Committee after deliberations recommended to issue standard TOR prescribed by the MoEF&CC for conducting the EIA along with following additional TOR's:-

- 1. Since project involves 264.0 ha., forest area, F.C. clearance has to be obtained by PP and copy of the same should be submitted with EIA report with bifurcation of Forest area in different Zone.
- 2. PP shall explore the possibility of providing water supply from Chandrakeshar tank to Kheoni Wild Life Sanctuary.
- 3. Bifurcation of RF and PF details (if any).
- 4. Status of land as per land recored register of concerned collector.
- 5. CAT plan shall be prepared and the same shall be approved by the concerned DFO.
- 6. KML of FC clearance and EC clearance shall be submitted with EIA report with forest compartment history as per current forest plan.
- 7. Thematic disgram showing channel from water lifting point to the distribution area shall be submitted with EIA report.
- 8. Details of actual area occupied by pipes and other other area (such as for movement of trucks and logistic support) shall be calculated and discussed in the EIA report.
- 9. It shall also be verified if any area is falling under PESA Act, 1996, if yes their provisions shall accordingly be complied.
- 10. Distance from nearby National Park/ WLS shall be submitted with EIA report.
- 11. Interstate distance of the project shall be submitted with EIA report.
- 12. Tectonics, seismicity and history of past earthquakes in the area. A site specific study of the earthquake parameters will be done. The results of the site specific earthquake design shall be sent for approval of the NCSDP (National committee of Seismic Design Parameters, Central water commission, New Delhi for large dams.
- 13. If any issue involved to R&R, shall be elaborated in EIA with proper provisions issued by various State /central Government orders/ notification. In case of R&R is proposed then list of all the Project Affected Families (PAFs) with their name, age, educational qualification, family size, sex, religion, caste, sources of income, land & house holdings, other properties, occupation, source of income, house/land to be acquired for

- the project and house/land left with the family, any other property, possession of cattle, type of house etc.
- 14. Resettlement and Rehabilitation Plan needed to be prepared on the basis of findings of the socio- economic survey coupled with the outcome of public consultation held. The R&R package shall be prepared after consultation with the representatives of the project affected families and the State Government. Detailed budgetary estimates are to be provided. Resettlements site should be identified. The plan will also incorporate community development strategies.
- 15. Special attention has to be given to vulnerable groups like women, aged persons etc. and to any ethnic/indigenous groups that are getting affected by the project.
- 16. Impacts of blasting activity during project construction which generally destabilize the land mass and leads to landslides, damage to properties and drying up of natural springs and cause noise population will be studies. Proper record shall be maintained of the baseline information in the post project period.
- 17. All muck disposal sites should be minimum 30 m away from the HFL of river. The quantity of muck to be generated and the quantity of muck proposed to be utilized shall be calculated in consultation with the project authorities. Details of each dumping site viz. area, capacity, total quantity of muck that can be dumped etc. should be worked out and discussed in the plan. Plan for rehabilitation of muck disposal sites should also be given. The L-section / cross section of muck disposal sites and approach roads should be given. The plan shall have physical and financial details of the measures proposed. Layout map showing the dumping sites vis-à-vis other project components will be prepared and appended in the chapter.
- 18. A detail of the source (quantum of water available, other potential users etc.) from where water is envisaged to be lifted shall be furnished.
- 19. Places where diversions of nallah/natural drains are proposed should be detailed out in the EIA report.
- 20. Sedimentation study in the pipe lines including the deposition, scaling etc should be furnished with EIA report along with the methodology proposed for its cleaning.
- 21. Economic viability and cost benefit analysis be conducted and presented in the EIA report and should also take into consideration environmental/ecological factors.
- 22. How micro-irrigation technology shall be implemented in this project after the completion of the project should be discussed in the EIA report.
- 23. The study area for the EIA shall include 2.5 Km area on either sides of the pipeline.
- 24. Management plan for dug-out material generated during laying / construction of the pipe line / structures.
- 25. An inventory of various features such as sensitive area, fragile areas, mining / industrial areas, habitation, water-bodies, major roads, etc. shall be prepared and furnished with EIA.

- 26. Muck management plan wrt mechinary deployment and movement of trucks shall be discussed in the EIA report.
- 27. An inventory of flora & fauna based on actual ground survey shall be presented and assessment of ecological services and damage with respect to flora & fauna air, water, land and other environmental attributes shall be studied and reported in EIA report.
- 28. PP should also explore the possibility of reducing proposed power requirement and methods proposed for dealing with back pressure in case of electricity failure should be studied in the EIA report.
- 29. EIA report should cover impact of anticipated change in cropping pattern and associated activities like horticulture, animal husbandry etc.
- 30. PP should carry out the public hearing of the site as per the procedure laid down in the EIA Notification, 2006.

6. Case No 9809/2023 M/s Maa Narmada Associates Partner Shri Ravindra Singh, R/o Bus Stand Road, Mandla (MP)-481661, Prior Environment Clearance for Sand Quarry in an area of 3.80 ha. (22800 Cum per annum) (Khasra No. 786) Village-Silgi, Tehsil-Mandla, District-Mandla (MP)

This is case of Sand Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 786) Village-Silgi, Tehsil-Mandla, District-Mandla (MP) 3.80 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 18/04/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री रिवन्द्र सिंह (ऑनलाईन) उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री अंकुर शर्मा, मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसार्च इंडिया (प्रा. लि.) नोयडा उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खिनज शाखा) एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 466 दिनांक 28/03/2023 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान स्वीकृत/संचालित नहीं होने की जानकारी दी गई है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी—2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने यह पाया कि ऑनलाईन अपलोडेड गूगल इमेज अनुसार खदान बंजर नदी में स्थित है तथा परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वांछित रेत की पूर्ति (Replenishment) हो रही है जिसका विवरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खनन् योजना में वर्णित है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं—51 के सरल क्रमांक—01 पर दर्ज है, जिसमें माईनेवल मिनरल पोटेंशियल—68,400 घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरुद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 22,800 घनमीटर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था।

ऑनलाईन अपलोडेड गूगल इमेज अनुसार आवंटित खनन् क्षेत्र में से नदी धारा निकल रही है जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि आवंटित खनन् क्षेत्र का वह भाग जहां से नदी की धारा प्रवाहित हो रही है वहां खनन् नहीं किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि आंवटित क्षेत्र के कुल 60 प्रतिशत भाग में ही मांइनिंग की जायेगी तथा स्वीकृत मात्रा 22,800 घन मीटर है जो आवंटित क्षेत्र में उपलब्ध है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि रेत का परिवहन पूर्वी दिशा से किया जायेगा।

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने अवगत कराया गया कि स्वीकृत लीज की समयावधि मात्र एक वर्ष से भी कम (जून, 23) है तथा समिति का यह चिंता है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा रोपे गये पौधों की देख-भाल कौन करेगा । अतएव समिति की चर्चा उपरांत यह अनुशंसा है, कि खदान मालिक द्वारा प्रस्तावित किये गये समस्त वृक्षारोपण का कार्य परियोजना प्रस्तावक वन विभाग से करवायेगा, क्योंकि सभी खदानें एक ही परियोजना प्रस्तावक की होने के साथ-साथ एक ही जिले में स्थित है, जिनका कुल क्षेत्रफल 10.00 हेक्टेयर से अधिक है एवं इस हेतु आवश्यक धनराशि शासन को नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट में जमा करेंगा, जिससे विभाग परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत वृक्षोरोपण योजना अनुसार वृक्षारोपण कार्य करवायेंगे साथ ही आगामी 05 वर्षो तक उनकी देखभाल भी करेंगे। समिति की यह भी अनुशंसा है कि ग्रामवासियों हेतु प्रस्तावित पौधा वितरण कार्य स्वयं परियोजना प्रस्तावक द्वारा किया जाये तथा परियोजना प्रस्तावक के पास यह अतिरिक्त विकल्प भी उपलब्ध रहेगा कि वह संपूर्ण वृक्षारोपण स्वतः करें अथवा वन विभाग की सहमति उपरांत उनके माध्यम से ''कनवरजेंस स्कीम'' (संमिलन योजना) के तहत् कराये । यदि परियोजना प्रस्तावक स्वयं संपूर्ण वृक्षारोपण करता है तो उसे उसका रख–रखाव एक वर्ष तक करना होगा तथा आगामी 02 वर्षों के रख–रखाव का दायित्व उस परियोजना प्रस्तावक का होगा जिसको यह खदान भविष्य में आवंटित होगी। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक— बी अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

- 1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत 22,800 मी³ प्रति वर्ष।
- 2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 13.62 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 02.70 लाख प्रति वर्ष ।
- उ. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन् क्षेत्र में कोई Critical aquatic habitat of equatic fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।
- 4. परियोजना प्रस्तावक वृक्षारोपण कार्य संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग से करवायेंगे तथा इस हेतु प्रावधानित धनराशि रूपये 9.0 लाख शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट में भू—प्रवेश मिलने के एक माह के अंदर जमा करेंगे तथा संबंधित वनमंडलाधिकारी वन क्षेत्र में नदी के किनारे या नदी के आसपास उपलब्ध जल ग्रहण क्षेत्र में स्थल का चयन कर स्वंयम वृक्षों की प्रजातियाँ चयानित कर व योजना तैयार कर वृक्षारोपण करेगे, आगामी 03 वर्षों तक उनकी देखभाल करेंगे, परियोजना प्रस्तावक को सूचित करेंगे तथा 03 वर्षों तक पौधों का मूल्यांकन प्रतिवेदन भेजेंगे।

5. वन मंडलाधिकारी, वन विभाग द्वारा लिखित में वृक्षारोपण हेतु परियोजना प्रस्तावक का प्रस्ताव अस्वीकृत किये जाने की स्थिति में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित वृक्षारोपण एवं सुरक्षा कार्य ग्राम पंचायत के माध्यम से 03 वर्ष तक (सतत् सिंचाई 01 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अविध तक रख–रखाव के साथ) निम्नानुसार संपादित करेंगे:--

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर	करंज, कट्ग बॉसं जामुन कहवा खस,	2000
		नागर मोथा , पुत्रंजीवा, मौलश्री खमेर एवं	
		अन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	
2	आावंटित लीज क्षेत्र के आसपास	कट्ग बॉसं, कहवा, खमेर, सफेद, सिरस,	1000
	उपलब्ध क्षेत्र (केंचमेंट एरिया–इच्छुक	नीम, सेमल, आंबला, हरसिंगार,	
	ग्रामीणों के खेत) मे	कालासिरस,एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ वन	
		विभाग के सुझाव अनुसार	
2	ग्राम सिंलग के ग्राम पंचायत भवन,	कदंब, कचनार, अमलतास, अशोक, नीम एवं	600
	आंगनवाडी, शासकीय विद्यालय में	अन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	
		योग	3600

6. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 01.00 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
सिलगी प्राथमिक शाला में टॉयलेट निर्माण पानी की टंकी एवं मोटर के साथ 02	1,00,000

7. Case No 9810/2023 M/s Maa Narmada Associates Partner Shri Ravindra Singh, R/o Bus Stand Road, Mandla (MP)-481661, Prior Environment Clearance for Sand Quarry in an area of 2.00 ha. (7999 Cum per annum) (Khasra No. 01) Village-Devgaon, Tehsil-Mandla, District-Mandla (MP)

This is case of Sand Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 01) Village-Devgaon, Tehsil-Mandla, District-Mandla (MP) 2.00 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 18/04/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री रविन्द्र सिंह (ऑनलाईन) उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री अंकुर शर्मा, मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसार्च इंडिया (प्रा. लि.) नोयडा उपस्थित हुए।

प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 463 दिनांक 28 / 03 / 2023 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान स्वीकृत / संचालित नहीं होने की जानकारी दी गई है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी—2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने यह पाया कि ऑनलाईन अपलोडेड गूगल इमेज अनुसार खदान बंजर नदी में स्थित है तथा परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वांछित रेत की पूर्ति (Replenishment) हो रही है जिसका विवरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खनन् योजना में वर्णित है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं—51 के सरल क्रमांक—14 पर दर्ज है, जिसमें माईनेवल मिनरल पोटेंशियल—24,000 घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरूद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 7,999 घनमीटर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था।

ऑनलाईन अपलोडेड गूगल इमेज अनुसार आवंटित खनन् क्षेत्र पानी में डूबा है जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि जो वर्तमान में गूगल इमेज अपलोड़ है वह वर्षाकाल अक्टूबर 2022 की है तथा फरवरी—मार्च में नदी का पानी उतर जाने पर खनन् योग्य क्षेत्र उपलब्ध होता है जिसकी पुष्टि पूर्व गूगल इमेज फरवरी 22 से की जा सकती है । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि आंवटित क्षेत्र के कुल 60 प्रतिशत भाग में ही मांइनिंग की जायेगी तथा स्वीकृत मात्रा 7,999 घन मीटर है जो आवंटित क्षेत्र में उपलब्ध है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि रेत का परिवहन दक्षिण—पूर्वी दिशा से किया जायेगा ।

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने अवगत कराया गया कि स्वीकृत लीज की समयावधि मात्र एक वर्ष से भी कम (जून, 23) है तथा समिति का यह चिंता है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा रोपे गये पौधों की देख-भाल कौन करेगा । अतएव समिति की चर्चा उपरांत यह अनुशंसा है, कि खदान मालिक द्वारा प्रस्तावित किये गये समस्त वृक्षारोपण का कार्य परियोजना प्रस्तावक वन विभाग से करवायेगा, क्योंकि सभी खदानें एक ही परियोजना प्रस्तावक की होने के साथ-साथ एक ही जिले में स्थित है, जिनका कुल क्षेत्रफल 10.00 हेक्टेयर से अधिक है एवं इस हेतु आवश्यक धनराशि शासन को नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट में जमा करेंगा, जिससे विभाग परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत वृक्षोरोपण योजना अनुसार वृक्षारोपण कार्य करवायेंगे साथ ही आगामी 05 वर्षो तक उनकी देखभाल भी करेंगे। समिति की यह भी अनुशंसा है कि ग्रामवासियों हेतु प्रस्तावित पौधा वितरण कार्य स्वयं परियोजना प्रस्तावक द्वारा किया जाये तथा परियोजना प्रस्तावक के पास यह अतिरिक्त विकल्प भी उपलब्ध रहेगा कि वह संपूर्ण वृक्षारोपण स्वतः करें अथवा वन विभाग की सहमति उपरांत उनके माध्यम से ''कनवरजेंस स्कीम'' (संमिलन योजना) के तहत् कराये । यदि परियोजना प्रस्तावक स्वयं संपूर्ण वृक्षारोपण करता है तो उसे उसका रख-रखाव एक वर्ष तक करना होगा तथा आगामी 02 वर्षों के रख–रखाव का दायित्व उस परियोजना प्रस्तावक का होगा जिसको यह खदान भविष्य में आवंटित होगी। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक— बी अनुसार पूर्व पूर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

- 1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत 7,999 मी³ प्रति वर्ष।
- 2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 08.82 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 01.73 लाख प्रति वर्ष ।
- 3. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन् क्षेत्र में कोई Critical aquatic habitat of equatic fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।
- 4. परियोजना प्रस्तावक वृक्षारोपण कार्य संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग से करवायेंगे तथा इस हेतु प्रावधानित धनराशि रूपये 9.0 लाख शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट में भू—प्रवेश मिलने के एक माह के अंदर जमा करेंगे तथा संबंधित वनमंडलाधिकारी वन क्षेत्र में नदी के किनारे या नदी के आसपास उपलब्ध जल ग्रहण क्षेत्र में स्थल का चयन कर स्वंयम वृक्षों की प्रजातियाँ चयानित कर व योजना तैयार कर वृक्षारोपण करेंगे, आगामी 03 वर्षों तक उनकी देखभाल करेंगे, परियोजना प्रस्तावक को सूचित करेंगे तथा 03 वर्षों तक पौधों का मूल्यांकन प्रतिवेदन भेजेंगे।
- 5. वन मंडलाधिकारी, वन विभाग द्वारा लिखित में वृक्षारोपण हेतु परियोजना प्रस्तावक का प्रस्ताव अस्वीकृत किये जाने की स्थिति में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित वृक्षारोपण एवं सुरक्षा कार्य ग्राम पंचायत के माध्यम से 03 वर्ष तक (सतत् सिंचाई 01 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अविध तक रख–रखाव के साथ) निम्नानुसार संपादित करेंगे:-

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पक्तियों में)	करंज, कट्ग बॉसं जामुन कहवा खस, नागर मोथा , पुत्रंजीवा, मौलश्री खमेर एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	1500
	आावंटित लीज क्षेत्र के आसपास उपलब्ध क्षेत्र (केंचमेंट एरिया–इच्छुक ग्रामीणों के खेत) मे	कट्ग बॉसं, कहवा, खमेर, सफेद, सिरस, नीम, सेमल, आंबला, हरसिंगार, कालासिरस एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉं वन विभाग के सुझाव अनुसार	600
	ग्राम पंचायत देवगॉव ग्राम पंचायत भवन, आंगनवाडी, शासकीय विद्यालय में	कदंब, कचनार, अमलतास, अशोक, नीम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	300
		योग	2400

6. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 01.00 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
देवगांव प्राथमिक शाला में 02 टॉयलेट निर्माण पानी की टंकी एवं मोटर के साथ	1,00,000

8. Case No 9811/2023 M/s Maa Narmada Associates Partner Shri Ravindra Singh, R/o Bus Stand Road, Mandla (MP)-481661, Prior Environment Clearance for Sand Quarry in an area of 1.00 ha. (4000 Cum per annum) (Khasra No. 228) Village-Gurarkheda, Tehsil-Mandla, District-Mandla (MP)

This is case of Sand Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 228) Village-Gurarkheda, Tehsil-Mandla, District-Mandla (MP) 1.00 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 18/04/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री रिवन्द्र सिंह (ऑनलाईन) उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री अंकुर शर्मा, मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसार्च इंडिया (प्रा. लि.) नोयडा उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 462 दिनांक 28/03/2023 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान स्वीकृत/संचालित नहीं होने की जानकारी दी गई है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी—2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने यह पाया कि ऑनलाईन अपलोडेड गूगल इमेज अनुसार खदान नर्मदा नदी में स्थित है अतः सिर्फ मेन्यूअल माईनिग की जाये । परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वांछित रेत की पूर्ति (Replenishment) हो रही है जिसका विवरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खनन् योजना में वर्णित है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि आंवटित क्षेत्र के कुल 60 प्रतिशत भाग में ही मांइनिंग की जायेगी तथा स्वीकृत मात्रा 4,000 घन मीटर है जो आवंटित क्षेत्र में उपलब्ध है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि रेत का परिवहन पूर्वी दिशा से किया जायेगा । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं—52 के सरल क्रमांक—25 पर दर्ज है, जिसमें माईनेवल मिनरल पोटेंशियल—12,000 घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरुद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 4,000 घनमीटर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था । संभागीय आयुक्त की समिति जबलपुर के कार्यवाही विवरण दिनांक 14/06/21 अनुसार वन भूमि से 50 मीटर दूरी छोड़ने तथा वन सीमा से परिवहन नहीं किये जाने की शर्त पर अनापत्ति दी गई है।

समिति ने पाया कि गूगल इमेज के अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि खदान दोनो तरफ वन क्षेत्र है अर्थात यह स्पष्ट होना आवश्कय है कि वन क्षेत्र नदी के एक ही तरफ है अथवा दोनो तरफ । यदि नदी के दोनो तरफ वन क्षेत्र है तो ऐसी स्थिति में आवंटित खनन् क्षेत्र भी वन क्षेत्र के रूप में माना जाना चाहिए । अतः वन मंडलाधिकारी, वन विभाग से मेनेजमेंट मेप में नदी व खदान की स्थिति स्पष्ट करते हुए स्पष्ट जानकारी प्राप्त की जाये।

9. Case No 9812/2023 M/s Maa Narmada Associates Partner Shri Ravindra Singh, R/o Bus Stand Road, Mandla (MP)-481661, Prior Environment Clearance for Sand Quarry in an area of 1.00 ha. (3600 Cum per annum) (Khasra No. 100) Village-Baheri, Tehsil-Nainpur, District-Mandla (MP)

This is case of Sand Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 100) Village-Baheri, Tehsil-Nainpur, District-Mandla (MP) 1.00 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 18/04/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री रविन्द्र सिंह (ऑनलाईन) उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री अंकुर शर्मा, मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसार्च इंडिया (प्रा. लि.) नोयडा उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 464 दिनांक 28/03/2023 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान स्वीकृत/संचालित नहीं होने की जानकारी दी गई है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी-2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने यह पाया कि ऑनलाईन अपलोडेड गूगल इमेज अनुसार खदान बंजर नदी में स्थित है तथा परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वांछित रेत की पूर्ति (Replenishment) हो रही है जिसका विवरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खनन् योजना में वर्णित है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि आंविटत क्षेत्र के कुल 60 प्रतिशत भाग में ही मांइनिंग की जायेगी तथा स्वीकृत मात्रा 3,600 घन मीटर है जो आवंटित क्षेत्र में उपलब्ध है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि रेत का परिवहन पश्चिम दिशा से किया जायेगा । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं—51 के सरल क्रमांक—11 पर दर्ज है, जिसमें माईनेवल मिनरल पोटेंशियल—10,800 घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरूद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 3,600 घनमीटर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था । संभागीय आयुक्त की समिति जबलपुर के कार्यवाही विवरण दिनांक 24/08/21 में उक्त खदान हेतु राजस्व क्षेत्र की ओर ही खनन् कार्य करने तथा वन मार्ग से परिवहन न कर राजस्व क्षेत्र से ही खनिज का परिवहन करने की शर्त पर अनुमित दी गई है।

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने अवगत कराया गया कि स्वीकृत लीज की समयाविध मात्र एक वर्ष से भी कम (जून, 23) है तथा समिति का यह चिंता है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा रोपे गये पौधों की देख—भाल कौन करेगा । अतएव समिति की चर्चा उपरांत यह अनुशंसा है, कि खदान मालिक द्वारा प्रस्तावित किये गये समस्त वृक्षारोपण का कार्य परियोजना प्रस्तावक वन विभाग से करवायेगा, क्योंकि सभी खदानें एक ही परियोजना प्रस्तावक की होने के साथ—साथ एक ही जिले में स्थित है, जिनका कुल क्षेत्रफल 10.00 हेक्टेयर से अधिक है एवं इस हेतु आवश्यक धनराशि शासन को नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट मे जमा करेंगा, जिससे विभाग परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत वृक्षोरोपण योजना अनुसार वृक्षारोपण कार्य करवायेंगे साथ ही आगामी 05 वर्षो तक उनकी

देखभाल भी करेंगे। सिमिति की यह भी अनुशंसा है कि ग्रामवासियों हेतु प्रस्तावित पौधा वितरण कार्य स्वयं परियोजना प्रस्तावक द्वारा किया जाये तथा परियोजना प्रस्तावक के पास यह अतिरिक्त विकल्प भी उपलब्ध रहेगा कि वह संपूर्ण वृक्षारोपण स्वतः करें अथवा वन विभाग की सहमति उपरांत उनके माध्यम से ''कनवरजेंस स्कीम'' (संमिलन योजना) के तहत् कराये । यदि परियोजना प्रस्तावक स्वयं संपूर्ण वृक्षारोपण करता है तो उसे उसका रख—रखाव एक वर्ष तक करना होगा तथा आगामी 02 वर्षो के रख—रखाव का दायित्व उस परियोजना प्रस्तावक का होगा जिसको यह खदान भविष्य में आवंटित होगी। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से सिमिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक— बी अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:—

- 1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत 3,600 मी³ प्रति वर्ष।
- 2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 06.87 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 01.45 लाख प्रति वर्ष ।
- 3. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन् क्षेत्र में कोई Critical aquatic habitat of equatic fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।
- 4. परियोजना प्रस्तावक वृक्षारोपण कार्य संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग से करवायेंगे तथा इस हेतु प्रावधानित धनराशि रूपये 03.00 लाख शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट में भू—प्रवेश मिलने के एक माह के अंदर जमा करेंगे तथा संबंधित वनमंडलाधिकारी वन क्षेत्र में नदी के किनारे या नदी के आसपास उपलब्ध जल ग्रहण क्षेत्र में स्थल का चयन कर स्वंयम वृक्षों की प्रजातियाँ चयानित कर व योजना तैयार कर वृक्षारोपण करेंगे, आगामी 03 वर्षों तक उनकी देखभाल करेंगे, परियोजना प्रस्तावक को सूचित करेंगे तथा 03 वर्षों तक पौधों का मूल्यांकन प्रतिवेदन भेजेंगे।
- 5. वन मंडलाधिकारी, वन विभाग द्वारा लिखित में वृक्षारोपण हेतु परियोजना प्रस्तावक का प्रस्ताव अस्वीकृत किये जाने की स्थिति में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित वृक्षारोपण एवं सुरक्षा कार्य ग्राम पंचायत के माध्यम से 03 वर्ष तक (सतत् सिंचाई 01 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अविध तक रख–रखाव के साथ) निम्नानुसार संपादित करेंगे:-

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर	करंज, कट्ग बॉसं जामुन कहवा खस, नागर मोथा, पुत्रंजीवा, मौलश्री खमेर एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	800
	`	कट्ग बॉसं, कहवा, खमेर, सफेद, सिरस, नीम, सेमल, आंबला, हरसिंगार, कालासिरस,एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ वन विभाग के सुझाव अनुसार	400
		योग	1200

6. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.40 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
बहेरी प्राथमिक शाला में टॉयलेट निर्माण 02	40,000

10. Case No 9813/2023 M/s Maa Narmada Associates Partner Shri Ravindra Singh, R/o Bus Stand Road, Mandla (MP)-481661, Prior Environment Clearance for Sand Quarry in an area of 3.70 ha. (14800 Cum per annum) (Khasra No. 370) Village-Bakchherdona, Tehsil-Mandla, District-Mandla (MP)

This is case of Sand Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 370) Village-Bakchherdona, Tehsil-Mandla, District-Mandla (MP) 3.70 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 18/04/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री रिवन्द्र सिंह (ऑनलाईन) उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री अंकुर शर्मा, मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसार्च इंडिया (प्रा. लि.) नोयडा उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 460 दिनांक 28/03/2023 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान स्वीकृत/संचालित नहीं होने की जानकारी दी गई है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी—2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने यह पाया कि ऑनलाईन अपलोडेड गूगल इमेज अनुसार खदान नर्मदा नदी में स्थित है अतः सिर्फ मेंन्यूअल माईनिंग की जायेगी । परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वांछित रेत की पूर्ति (Replenishment) हो रही है जिसका विवरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खनन् योजना में वर्णित है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं—51 के सरल क्रमांक—15 पर दर्ज है, जिसमें माईनेवल मिनरल पोटेंशियल—44,400 घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरुद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 14,800 घनमीटर पर्यावरणीय स्वीकृति हेत् आवेदन किया गया था ।

ऑनलाईन अपलोडेड गूगल इमेज अनुसार आवंटित खनन् क्षेत्र उत्तर—पूर्वी दिशा के बहुत छोटे से भाग में से नदी की धारा निकल रही है जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि आवंटित खनन् क्षेत्र का वह भाग जहां से नदी की धारा प्रवाहित हो रही है वहां खनन् नही किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि आंवटित क्षेत्र के कुल 60 प्रतिशत भाग में ही मांइनिंग की जायेगी तथा स्वीकृत मात्रा 14,800 घन मीटर है जो आवंटित क्षेत्र में उपलब्ध है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि रेत का परिवहन पश्चिम दिशा से किया जायेगा। संभागीय आयुक्त की समिति जबलपुर के कार्यवाही विवरण

दिनांक 14/06/21 में वन भूमि से खनिज रेत परिवहन नहीं किया जाने की शर्त पर अनापित्त दी गई है।

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने अवगत कराया गया कि स्वीकृत लीज की समयावधि मात्र एक वर्ष से भी कम (जून, 23) है तथा समिति का यह चिंता है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा रोपे गये पौधों की देख-भाल कौन करेगा । अतएव समिति की चर्चा उपरांत यह अनुशंसा है, कि खदान मालिक द्वारा प्रस्तावित किये गये समस्त वृक्षारोपण का कार्य परियोजना प्रस्तावक वन विभाग से करवायेगा, क्योंकि सभी खदानें एक ही परियोजना प्रस्तावक की होने के साथ-साथ एक ही जिले में स्थित है, जिनका कुल क्षेत्रफल 10.00 हेक्टेयर से अधिक है एवं इस हेतू आवश्यक धनराशि शासन को नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट में जमा करेंगा, जिससे विभाग परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत वृक्षोरोपण योजना अनुसार वृक्षारोपण कार्य करवायेंगे साथ ही आगामी 05 वर्षो तक उनकी देखभाल भी करेंगे। समिति की यह भी अनुशंसा है कि ग्रामवासियों हेतु प्रस्तावित पौधा वितरण कार्य स्वयं परियोजना प्रस्तावक द्वारा किया जाये तथा परियोजना प्रस्तावक के पास यह अतिरिक्त विकल्प भी उपलब्ध रहेगा कि वह संपूर्ण वृक्षारोपण स्वतः करें अथवा वन विभाग की सहमति उपरांत उनके माध्यम से ''कनवरजेंस स्कीम'' (संमिलन योजना) के तहत् कराये । यदि परियोजना प्रस्तावक स्वयं संपूर्ण वृक्षारोपण करता है तो उसे उसका रख—रखाव एक वर्ष तक करना होगा तथा आगामी 02 वर्षों के रख–रखाव का दायित्व उस परियोजना प्रस्तावक का होगा जिसको यह खदान भविष्य में आवंटित होगी। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्ती एवं स्टेण्डर्ड शर्ती संलग्नक— बी अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

- 1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत 14,800 मी³ प्रति वर्ष।
- 2. खदान नर्मदा नदी में स्थित है अतः सिर्फ मेंन्यूअज माईनिग की जायेगी
- 3. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 16.42 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 02.48 लाख प्रति वर्ष ।
- 4. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन् क्षेत्र में कोई Critical aquatic habitat of equatic fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।
- 5. परियोजना प्रस्तावक वृक्षारोपण कार्य संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग से करवायेंगे तथा इस हेतु प्रावधानित धनराशि रूपये 12.00 लाख शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट में भू—प्रवेश मिलने के एक माह के अंदर जमा करेंगे तथा संबंधित वनमंडलाधिकारी वन क्षेत्र में नदी के किनारे या नदी के आसपास उपलब्ध जल ग्रहण क्षेत्र में स्थल का चयन कर स्वंयम वृक्षों की प्रजातियाँ चयानित कर व योजना तैयार कर वृक्षारोपण करेगे, आगामी 03 वर्षों तक उनकी देखभाल करेंगे, परियोजना प्रस्तावक को सूचित करेंगे तथा 03 वर्षों तक पौधों का मूल्यांकन प्रतिवेदन भेजेंगे।
- 6. वन मंडलाधिकारी, वन विभाग द्वारा लिखित में वृक्षारोपण हेतु परियोजना प्रस्तावक का प्रस्ताव अस्वीकृत किये जाने की स्थिति में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित वृक्षारोपण एवं सुरक्षा कार्य

ग्राम पंचायत के माध्यम से 03 वर्ष तक (सतत् सिंचाई 01 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) निम्नानुसार संपादित करेंगे:—

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर	करंज, कट्ग बॉसं जामुन कहवा खस, नागर मोथा , पुत्रंजीवा, मौलश्री खमेर एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	2500
	आावंटित लीज क्षेत्र के आसपास उपलब्ध क्षेत्र (केंचमेंट एरिया—इच्छुक ग्रामीणों के खेत) मे	कट्ग बॉसं, कहवा, खमेर, सफेद, सिरस, नीम, सेमल, आंबला, हरसिंगार, कालासिरस,एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ वन विभाग के सुझाव अनुसार	2000
3	ग्राम बक्छेरदोना के ग्राम पंचायत भवन, आंगनवाडी, शासकीय विद्यालय में	कदंब, कचनार, अमलतास, अशोक, नीम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	300
		योग	4800

7. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 01.50 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
बक्छेरदोना प्राथमिक शाला में बाउंड्रीवाल निर्माण (.मी150 लगभग)	150,000

11. Case No 9814/2023 M/s Maa Narmada Associates Partner Shri Ravindra Singh, R/o Bus Stand Road, Mandla (MP)-481661, Prior Environment Clearance for Sand Quarry in an area of 2.023 ha. (12138 Cum per annum) (Khasra No. 670) Village-Bamhani, Tehsil-Mandla, District-Mandla (MP)

This is case of Sand Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 670) Village-Bamhani, Tehsil-Mandla, District-Mandla (MP) 2.023 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 18/04/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री रविन्द्र सिंह (ऑनलाईन) उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री अंकुर शर्मा, मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसार्च इंडिया (प्रा. लि.) नोयडा उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 461 दिनांक 28/03/2023 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान स्वीकृत/संचालित नहीं होने की जानकारी दी गई है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी—2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने यह पाया कि ऑनलाईन अपलोडेड गूगल इमेज अनुसार खदान बंजर नदी में स्थित है तथा परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वांछित रेत की पूर्ति (Replenishment)

हो रही है जिसका विवरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खनन् योजना में वर्णित है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं—51 के सरल क्रमांक—02 पर दर्ज है, जिसमें माईनेवल मिनरल पोटेंशियल—36,414 घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरूद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 12,138 घनमीटर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था ।

ऑनलाईन अपलोडेड गूगल इमेज अनुसार आवंटित खनन् क्षेत्र के उत्तरी भाग में 120 मीटर की दूरी पर रोड़ ब्रिज है जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खदान ब्रिज के अपस्ट्रीम में है जिस कारण ब्रिज से 250 मीटर का नॉन माईनिंग जोन सस्टेनेबल सेंड माईनिंग गाईड लाईन, 2020 के अनुसार छोडा गया है जिसके पश्चात् लगभग 0.75 हे. क्षेत्र खनन् हेतु उपलब्ध होगा। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि आंवटित क्षेत्र के कुल 60 प्रतिशत भाग में ही मांइनिंग की जायेगी तथा स्वीकृत मात्रा 12,138 घन मीटर है जो नॉन माईनिंग जोन छोडने के पश्चात् उपलब्ध 0.55 हे. क्षेत्र में उपलब्ध है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि रेत का परिवहन पश्चिम दिशा से किया जायेगा।

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने अवगत कराया गया कि स्वीकृत लीज की समयावधि मात्र एक वर्ष से भी कम (जून, 23) है तथा समिति का यह चिंता है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा रोपे गये पौधों की देख-भाल कौन करेगा । अतएव समिति की चर्चा उपरांत यह अनुशंसा है, कि खदान मालिक द्वारा प्रस्तावित किये गये समस्त वृक्षारोपण का कार्य परियोजना प्रस्तावक वन विभाग से करवायेगा, क्योंकि सभी खदानें एक ही परियोजना प्रस्तावक की होने के साथ–साथ एक ही जिले में स्थित है, जिनका कुल क्षेत्रफल 10.00 हेक्टेयर से अधिक है एवं इस हेतु आवश्यक धनराशि शासन को नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट में जमा करेंगा, जिससे विभाग परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत वृक्षोरोपण योजना अनुसार वृक्षारोपण कार्य करवायेंगे साथ ही आगामी 05 वर्षो तक उनकी देखभाल भी करेंगे। समिति की यह भी अनुशंसा है कि ग्रामवासियों हेतु प्रस्तावित पौधा वितरण कार्य स्वयं परियोजना प्रस्तावक द्वारा किया जाये तथा परियोजना प्रस्तावक के पास यह अतिरिक्त विकल्प भी उपलब्ध रहेगा कि वह संपूर्ण वृक्षारोपण स्वतः करें अथवा वन विभाग की सहमति उपरांत उनके माध्यम से ''कनवरजेंस स्कीम'' (संमिलन योजना) के तहत् कराये । यदि परियोजना प्रस्तावक स्वयं संपूर्ण वृक्षारोपण करता है तो उसे उसका रख—रखाव एक वर्ष तक करना होगा तथा आगामी 02 वर्षों के रख–रखाव का दायित्व उस परियोजना प्रस्तावक का होगा जिसको यह खदान भविष्य में आवंटित होगी। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्ती एवं स्टेण्डर्ड शर्ती संलग्नक— बी अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

- 1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत 12,138 मी³ प्रति वर्ष। 2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 11.42 लाख एवं रिकृरिंग राशि रू. 02.22 लाख
- 2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 11.42 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 02.22 लाख प्रति वर्ष ।
- 3. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन् क्षेत्र में कोई Critical aquatic habitat of equatic fauna तो नहीं है

- और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।
- 4. परियोजना प्रस्तावक वृक्षारोपण कार्य संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग से करवायेंगे तथा इस हेतु प्रावधानित धनराशि रूपये 06.00 लाख शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट मे भू—प्रवेश मिलने के एक माह के अंदर जमा करेंगे तथा संबंधित वनमंडलाधिकारी वन क्षेत्र में नदी के किनारे या नदी के आसपास उपलब्ध जल ग्रहण क्षेत्र में स्थल का चयन कर स्वंयम वृक्षो की प्रजातियाँ चयानित कर व योजना तैयार कर वृक्षारोपण करेगे, आगामी 03 वर्षो तक उनकी देखभाल करेंगे, परियोजना प्रस्तावक को सूचित करेंगे तथा 03 वर्षो तक पौधों का मूल्यांकन प्रतिवेदन भेजेंगे।
- 5. वन मंडलाधिकारी, वन विभाग द्वारा लिखित में वृक्षारोपण हेतु परियोजना प्रस्तावक का प्रस्ताव अस्वीकृत किये जाने की स्थिति में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित वृक्षारोपण एवं सुरक्षा कार्य ग्राम पंचायत के माध्यम से 03 वर्ष तक (सतत् सिंचाई 01 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) निम्नानुसार संपादित करेंगे:–

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1		करंज, कट्ग बॉसं जामुन कहवा खस, नागर मोथा , पुत्रंजीवा, मौलश्री खमेर एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	1200
	आसपास उपलब्ध क्षेत्र	कट्ग बॉस, कहवा, खमेर, सफेद, सिरस, नीम, सेमल, आंबला, हरसिंगार, कालासिरस एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ वन विभाग के सुझाव अनुसार	1000
	ग्राम बम्हनी के ग्राम पंचायत भवन, आंगनवाडी, शासकीय विद्यालय में		
		योग	2400

6. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.80 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
बम्हनी स्वास्थ केंद्र में बेड 02	80,000

12. Case No 9815/2023 M/s MKC Infrastructure Limited, Authorized Signatory Shri Dharmendra Mehta, R/o Shiv Nagar Anjar, Kutch (Gujrat), Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 4.90 ha. (50000 Cum per annum) (Khasra No. 510, 514) Village-Salariya, Tehsil-Shamgarh, District-Mandsaur (MP)

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 510, 514) Village-Salariya, Tehsil-Shamgarh, District-Mandsaur (MP) 4.90 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 08/03/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री धर्मेद्र मेहता ओर उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री रामराघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी., बड़ौदरा, गुजरात उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) पत्र क्रमांक 198 दिनांक 30/01/2023 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदान स्वीकृत/संचालित नहीं होने की जानकारी दी गई है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी—2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माईन प्लॉन के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान शासकीय भूमि पर आवंटित है जिसमें दिसम्बर 22 की इमेज अनुसार खनन् कार्य प्रारंम्भ किया जाना प्रतीत हो रहा है जिस संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक बताया कि हमको खदान इसी स्थिति में आवंटित हुई है तथा इसका विवरण अनुमोदित खनन् योजना में दर्ज है । परियोजना प्रस्तावक द्वारा माईन प्लॉन के अक्षांश-देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान शासकीय भूमि पर आवंटित है जिसके उत्तर-पश्चिम दिशा में खदान से लगा हुआ मौसमी नाला है इसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि नाले के कारण 50 मीटर का सेट बेक छोडा गया है जिसके पश्चात् लगभग 4.572 हे. क्षेत्र खनन हेत् उपलब्ध होगा तथा इसके संरक्षण हेत् गारलेंड ड्रेन एवं सेटलिंग टेंक भी प्रस्तावित किये गये है । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि आवंटित खनन् क्षेत्र में 25 पेड़ लगे है जिनमें से 08 काटा जाना प्रस्तावित है तथा उसके एवज् में 80 अतिरिक्त पेड़ लगाये जायेगे । कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मंदसौर के पत्र कमांक 502 दिनांक 02/03/23 के द्वारा सूचित किया गया है कि उक्त उत्खनन् एवं परिवहन अनुज्ञा में सभी प्रक्रिया पूर्ण (अनुज्ञा संचालन) हो जाने के उपरांत नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में सम्मिलित कर लिया जावेगा । चूकि नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में इस खदान के विवरण दर्ज नही है अतः अनुमोदित खनन् योजना में दिये गये अक्षांश-देशांस के आधार पर प्रकरण का एप्राईजल किया गया । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघाँत निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29 / 07 / 22 (प्रकरण में 9261 / 2022 - जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये । परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्ती एवं स्टेण्डर्ड शर्ती संलग्नक-ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

- 1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता स्टोन 50,000 मी³ प्रति वर्ष ।
- 2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 20.76 लाख एवं रिकृरिंग राशि रू. 02.68 लाख प्रति वर्ष ।
- 3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.60 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
ग्राम सलारिया के शासकीय माध्यमिक विद्यालय में 1 कम्प्यूटर, 1 प्रिंटर एवं एक टेबल उपलब्ध करवाया जावेगा उपलब्ध कराये जावेंगे।	60,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख—रखाव के साथ) कम से कम 5960 वृक्षों का वृक्षारोपण :—

क.	वृक्षारोपण हेतु स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा
1.	बैरियर जोन	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:— खमेर पीपल, सिरस्तू, बबूल, जंगल जलेबी, नीम, सीताफल, आम, चिरोल आदि।	700
2.	परिवहन मार्ग (पोड़ों की न्यूनतम् ऊँचाई 01 मीटर)	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:— खमेर, आम, नीम, सिस्सू, पीपल, चिरोल, करंज, सिस्सू, आदि एवं अन्य छायादार वृक्ष	400
3.	ग्राम सलारिया के नजदीक स्थित आंगनवाड़ी केंद्र में	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:— कचनार, सिस्सू, चिरोल, नीम, बरगद, पीपल आदि।	50
4.	ग्राम सलारिया एवं समीप स्थित ग्राम के ग्रामीणों में पौधो का वितरण	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः– आम, आमला, संतरा, जामफल, सीताफल, अनार, अमरूद, नींबू, मूंगा आदि।	3810
5.	ग्राम के प्रस्तावित उत्खनिपट्टे के उत्तरीय भाग के अनुपयोगी क्षेत्र में	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:— जंगल जलेबी, नीम, सिस्सू, पीपल, चिरोल, करंज, सफेद कस्टार , सिस्सू आदि।	1000
		योग	5960

13. Case No 9816/2023 M/s Maa Narmada Associates Partner Shri Ravindra Singh, R/o Bus Stand Road, Mandla (MP)-481661, Prior Environment Clearance for Mugdara Sand Mine in an area of 2.80 ha. (8400 Cum per annum) (Khasra No. 968) Village-Mugdara, Tehsil-Nainpur, District-Mandla (MP)

This is case of Sand Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 670) Village-Bamhani, Tehsil-Mandla, District-

Mandla (MP) 2.023 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 18/04/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री रविन्द्र सिंह (ऑनलाईन) उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री अंकुर शर्मा, मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसार्च इंडिया (प्रा. लि.) नोयडा उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खिनज शाखा) एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 458 दिनांक 28/03/2023 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान स्वीकृत/संचालित नहीं होने की जानकारी दी गई है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी—2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने यह पाया कि ऑनलाईन अपलोडेड गूगल इमेज अनुसार खदान बजर नदी में स्थित है तथा परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वांछित रेत की पूर्ति (Replenishment) हो रही है जिसका विवरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खनन् योजना में वर्णित है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं—52 के सरल कमांक—28 पर दर्ज है, जिसमें माईनेवल मिनरल पोटेंशियल—25,200 घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरूद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 8,400 घनमीटर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था।

ऑनलाईन अपलोडेड गूगल इमेज अनुसार आवंटित खनन् क्षेत्र पश्चिम दिशा से नदी की धारा निकल रही है जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि आवंटित खनन् क्षेत्र का वह भाग जहां से नदी की धारा प्रवाहित हो रही है वहां खनन् नहीं किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि आंवटित क्षेत्र के कुल 60 प्रतिशत भाग में ही मांइनिंग की जायेगी तथा स्वीकृत मात्रा 8,400 घन मीटर है जो आवंटित क्षेत्र में उपलब्ध है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि रेत का परिवहन पूर्वी दिशा से किया जायेगा।

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने अवगत कराया गया कि स्वीकृत लीज की समयावधि मात्र एक वर्ष से भी कम (जून, 23) है तथा समिति का यह चिंता है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा रोपे गये पौधों की देख—भाल कौन करेगा । अतएव समिति की चर्चा उपरांत यह अनुशंसा है, कि खदान मालिक द्वारा प्रस्तावित किये गये समस्त वृक्षारोपण का कार्य परियोजना प्रस्तावक वन विभाग से करवायेगा, क्योंकि सभी खदानें एक ही परियोजना प्रस्तावक की होने के साथ—साथ एक ही जिले में स्थित है, जिनका कुल क्षेत्रफल 10.00 हेक्टेयर से अधिक है एवं इस हेतु आवश्यक धनराशि शासन को नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट मे जमा करेंगा, जिससे विभाग परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत वृक्षोरोपण योजना अनुसार वृक्षारोपण कार्य करवायेंगे साथ ही आगामी 05 वर्षो तक उनकी देखभाल भी करेंगे। समिति की यह भी अनुशंसा है कि ग्रामवासियों हेतु प्रस्तावित पौधा वितरण कार्य स्वयं परियोजना प्रस्तावक द्वारा किया जाये तथा परियोजना प्रस्तावक के पास यह अतिरिक्त विकल्प भी उपलब्ध रहेगा कि वह संपूर्ण वृक्षारोपण स्वतः करें अथवा वन विभाग की सहमति उपरांत उनके माध्यम से ''कनवरजेंस स्कीम'' (संमिलन योजना) के तहत् कराये । यदि परियोजना प्रस्तावक स्वयं संपूर्ण वृक्षारोपण करता है तो उसे उसका रख—रखाव एक वर्ष तक करना होगा तथा आगामी 02 वर्षो के रख—रखाव का दायित्व उस परियोजना प्रस्तावक का होगा जिसको यह खदान भविष्य में आवंटित

होगी। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक— बी अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:—

- 1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत 8,400 मी³ प्रति वर्ष।
- 2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 11.67 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 01.51 लाख प्रति वर्ष ।
- 3. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन् क्षेत्र में कोई Critical aquatic habitat of equatic fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।
- 4. परियोजना प्रस्तावक वृक्षारोपण कार्य संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग से करवायेंगे तथा इस हेतु प्रावधानित धनराशि रूपये 7.5 लाख शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट मे भू—प्रवेश मिलने के एक माह के अंदर जमा करेंगे तथा संबंधित वनमंडलाधिकारी वन क्षेत्र में नदी के किनारे या नदी के आसपास उपलब्ध जल ग्रहण क्षेत्र में स्थल का चयन कर स्वंयम वृक्षो की प्रजातियाँ चयानित कर व योजना तैयार कर वृक्षारोपण करेगे, आगामी 03 वर्षो तक उनकी देखभाल करेंगे, परियोजना प्रस्तावक को सूचित करेंगे तथा 03 वर्षो तक पौधों का मूल्यांकन प्रतिवेदन भेजेंगे।
- 5. वन मंडलाधिकारी, वन विभाग द्वारा लिखित में वृक्षारोपण हेतु परियोजना प्रस्तावक का प्रस्ताव अस्वीकृत किये जाने की स्थिति में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित वृक्षारोपण एवं सुरक्षा कार्य ग्राम पंचायत के माध्यम से 03 वर्ष तक (सतत् सिंचाई 01 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अविध तक रख—रखाव के साथ) निम्नानुसार संपादित करेंगे:—

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर	करंज, कट्ग बॉसं जामुन कहवा खस, नागर मोथा , पुत्रंजीवा, मौलश्री खमेर एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	1200
	खेत) मे	हरसिंगार, कालासिरस,एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ वन विभाग के सुझाव अनुसार	1200
3	ग्राम मुगदरा के ग्राम पंचायत भवन, आंगनवाडी, शासकीय विद्यालय में	कदंब, कचनार, अमलतास, अशोक, नीम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	600
		योग	3000

6. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.40 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
मुगदारा प्राथमिक शाला कैंपस में टॉयलेट निर्माण 02	40,000

14. Case No 9817/2023 M/s Maa Narmada Associates Partner Shri Ravindra Singh, R/o Bus Stand Road, Mandla (MP)-481661, Prior Environment Clearance for Indri Sand Mine in an area of 4.680 ha. (13680 Cum per annum) (Khasra No. 719) Village-Indri, Tehsil-Nainpur, District-Mandla (MP)

This is case of Sand Mine. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 719) Village-Indri, Tehsil-Nainpur, District-Mandla (MP) 4.680 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 18/04/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री रिवन्द्र सिंह (ऑनलाईन) उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री अंकुर शर्मा, मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसार्च इंडिया (प्रा. लि.) नोयडा उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खिनज शाखा) एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 459 दिनांक 28/03/2023 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान स्वीकृत/संचालित नहीं होने की जानकारी दी गई है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी—2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने यह पाया कि ऑनलाईन अपलोडेड गूगल इमेज अनुसार खदान बंजर नदी में स्थित है । परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वांछित रेत की पूर्ति (Replenishment) हो रही है जिसका विवरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खनन् योजना में वर्णित है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं—51 के सरल कमांक—10 पर दर्ज है, जिसमें माईनेवल मिनरल पोटेंशियल—41,040 घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरूद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 13,680 घनमीटर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था ।

ऑनलाईन अपलोडेड गूगल इमेज अनुसार आवंटित खनन् क्षेत्र संपूण नदी में आवंटित जिसके बीच में से नदी धारा प्रवाहित हो रही है जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि आवंटित खनन् क्षेत्र का वह भाग जहां से नदी की धारा प्रवाहित हो रही है वहां खनन् नहीं किया जायेगा तथा इस क्षेत्र से से रेत निकाल ली जाने के कारण नदी क्षेत्र के अंदर गढढों में पानी भरा दिख रहा है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि आंवटित क्षेत्र के कुल 60 प्रतिशत भाग में ही मांइनिंग की जायेगी तथा स्वीकृत मात्रा 13,680 घन मीटर है जो आवंटित क्षेत्र में उपलब्ध है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि रेत का परिवहन उत्तरी दिशा से किया जायेगा । संभागीय आयुक्त की समिति जबलपुर के कार्यवाही विवरण दिनांक 24/08/21 में उक्त खदान हेतु राजस्व क्षेत्र की ओर ही खनन् कार्य करने तथा वन मार्ग से परिवहन न कर राजस्व क्षेत्र से ही खनिज का परिवहन करने की शर्त पर अनुमित दी गई है।

समिति ने पाया कि गूगल इमेज के अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि खदान दोनो तरफ वन क्षेत्र है तथा वन कक्ष क्रमांक 75 की सीमा कहां तक है की स्थिति स्पष्ट नही है, इसलिए यह स्पष्ट होना आवश्यक है कि वन क्षेत्र नदी के एक ही तरफ है अथवा दोनो तरफ । यदि नदी के दोनो तरफ वन क्षेत्र है तो ऐसी स्थिति में आवंटित खनन् क्षेत्र भी वन क्षेत्र के रूप में माना जाना चाहिए । अतः वन

मंडलाधिकारी, वन विभाग से मेनेजमेंट मेप में नदी व खदान की स्थिति स्पष्ट करते हुए स्पष्ट जानकारी प्राप्त की जाये।

15. Case No 9818/2023 M/s Maa Narmada Associates Partner Shri Ravindra Singh, R/o Bus Stand Road, Mandla (MP)-481661, Prior Environment Clearance for Bhadiya Sand Mine in an area of 1.440 ha. (7200 Cum per annum) (Khasra No. 01) Village-Bhadiya, Tehsil-Nainpur, District-Mandla (MP)

This is case of Sand Mine. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 01) Village-Bhadiya, Tehsil-Nainpur, District-Mandla (MP) 1.440 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 18/04/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री रविन्द्र सिंह (ऑनलाईन) उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री अंकुर शर्मा, मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसार्च इंडिया (प्रा. लि.) नोयडा उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खिनज शाखा) एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 465 दिनांक 28/03/2023 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान स्वीकृत/संचालित नहीं होने की जानकारी दी गई है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी—2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने यह पाया कि ऑनलाईन अपलोडेड गूगल इमेज अनुसार खदान बंजर नदी में स्थित है । परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वांछित रेत की पूर्ति (Replenishment) हो रही है जिसका विवरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खनन् योजना में वर्णित है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं—51 के सरल कमांक—11 पर दर्ज है, जिसमें माईनेवल मिनरल पोटेंशियल—21,600 घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरूद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 7,200 घनमीटर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था ।

ऑनलाईन अपलोडेड गूगल इमेज अनुसार आवंटित खनन् क्षेत्र के पिश्चम दिशा में 530 मीटर की दूरी पर रोड ब्रिज है जिसके संदर्भ में पिरयोजना प्रस्तावक ने बताया कि आवंटित खनन् क्षेत्र ब्रिज के डाऊन स्ट्रीम में है तथा सस्टेनेबल सेंड माईनिंग गाईड लाईन, 2020 के अनुसार न्यूनतम प्रतिबंधित क्षेत्र 500 मीटर से दूर से है । आवंटित खनन् क्षेत्र में पानी दिख रहा है जिसके संदर्भ में पिरयोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस क्षेत्र से से रेत निकाल ली जाने के कारण नदी क्षेत्र के अंदर गढढो में पानी भरा दिख रहा है।तथा स्वीकृत मात्रा 7,200 घन मीटर है जो आवंटित क्षेत्र में उपलब्ध है। पिरयोजना प्रस्तावक ने बताया कि रेत का पिरवहन पिश्चम दिशा से किया जायेगा । संभागीय आयुक्त की सिमिति जबलपुर के कार्यवाही विवरण दिनांक 24/08/21 में उक्त खदान हेतु राजस्व क्षेत्र की ओर ही खनन् कार्य करने तथा वन सीमा से पिरवहन न कर राजस्व क्षेत्र से ही खनिज का पिरवहन करने की शर्त पर अनुमित दी गई है।

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने अवगत कराया गया कि स्वीकृत लीज की समयावधि मात्र एक वर्ष से भी कम (जून, 23) है तथा समिति का यह चिंता है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा रोपे गये पौधों की देख-भाल कौन करेगा । अतएव समिति की चर्चा उपरांत यह अनुशंसा है, कि खदान मालिक द्वारा प्रस्तावित किये गये समस्त वृक्षारोपण का कार्य परियोजना प्रस्तावक वन विभाग से करवायेगा, क्योंकि सभी खदानें एक ही परियोजना प्रस्तावक की होने के साथ-साथ एक ही जिले में स्थित है, जिनका कुल क्षेत्रफल 10.00 हेक्टेयर से अधिक है एवं इस हेतु आवश्यक धनराशि शासन को नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट में जमा करेंगा, जिससे विभाग परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत वृक्षोरोपण योजना अनुसार वृक्षारोपण कार्य करवायेंगे साथ ही आगामी 05 वर्षो तक उनकी देखभाल भी करेंगे। समिति की यह भी अनुशंसा है कि ग्रामवासियों हेतु प्रस्तावित पौधा वितरण कार्य स्वयं परियोजना प्रस्तावक द्वारा किया जाये तथा परियोजना प्रस्तावक के पास यह अतिरिक्त विकल्प भी उपलब्ध रहेगा कि वह संपूर्ण वृक्षारोपण स्वतः करें अथवा वन विभाग की सहमति उपरांत उनके माध्यम से ''कनवरजेंस स्कीम'' (संमिलन योजना) के तहत् कराये । यदि परियोजना प्रस्तावक स्वयं संपूर्ण वृक्षारोपण करता है तो उसे उसका रख–रखाव एक वर्ष तक करना होगा तथा आगामी 02 वर्षों के रख–रखाव का दायित्व उस परियोजना प्रस्तावक का होगा जिसको यह खदान भविष्य में आवंटित होगी। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक बी अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

- 1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत 7,200 मी³ प्रति वर्ष।
- 2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 10.52 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 01.81 लाख प्रति वर्ष ।
- 3. खदान संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन् क्षेत्र में कोई Critical aquatic habitat of equatic fauna तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।
- 4. परियोजना प्रस्तावक वृक्षारोपण कार्य संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग से करवायेंगे तथा इस हेतु प्रावधानित धनराशि रूपये 5.50 लाख शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट में भू—प्रवेश मिलने के एक माह के अंदर जमा करेंगे तथा संबंधित वनमंडलाधिकारी वन क्षेत्र में नदी के किनारे या नदी के आसपास उपलब्ध जल ग्रहण क्षेत्र में स्थल का चयन कर स्वंयम वृक्षों की प्रजातियाँ चयानित कर व योजना तैयार कर वृक्षारोपण करेगे, आगामी 03 वर्षों तक उनकी देखभाल करेंगे, परियोजना प्रस्तावक को सूचित करेंगे तथा 03 वर्षों तक पौधों का मूल्यांकन प्रतिवेदन भेजेंगे।
- 5. वन मंडलाधिकारी, वन विभाग द्वारा लिखित में वृक्षारोपण हेतु परियोजना प्रस्तावक का प्रस्ताव अस्वीकृत किये जाने की स्थिति में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित वृक्षारोपण एवं सुरक्षा कार्य ग्राम पंचायत के माध्यम से 03 वर्ष तक (सतत् सिंचाई 01 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख—रखाव के साथ) निम्नानुसार संपादित करेंगे:—

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा
			(संख्या में)

1		करंज, कट्ग बॉसं जामुन कहवा खस, नागर मोथा , पुत्रंजीवा, मौलश्री खमेर एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	1400
2	आावंटित लीज क्षेत्र के आसपास उपलब्ध क्षेत्र	कट्ग बॉसं, कहवा, खमेर, सफेद, सिरस, नीम, सेमल,	600
	(केंचमेंट एरिया—इच्छुक ग्रामीणों के खेत) मे	आंबला, हरसिंगार, कालासिरस,एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	
		वन विभाग के सुझाव अनुसार	
		योग	2000

6. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.60 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
भड़िया प्राथमिक शाला में टॉयलेट निर्माणपानी टंकी एवं मोटर के साथ 02	60,000

16. Case No 9822/2023 Shri Ummed Gurjar, Proprietor, M/s Aarav Construction Company R/o Gurjar Mohalla, Village-Karadiya Rampuriya, District-Jhalawar (RJ) Prior Environment Clearance for Datyakhedi River Sand Quarry in an area of 2.350 ha. (1500 Cum per annum) (Khasra No. 61) Village- Datyakhedi, Tehsil-Susner, District-Agar Malwa (MP)

This is case of Sand Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 61) Village- Datyakhedi, Tehsil-Susner, District-Agar Malwa (MP) 2.350 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 18/04/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री उम्मेद गुर्जर (ऑनलाईन) उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री रामराघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी., बड़ौदरा, गुजरात उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खिनज शाखा) एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 174 दिनांक 17/03/2023 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान स्वीकृत/संचालित नहीं होने की जानकारी दी गई है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी—2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने यह पाया कि ऑनलाईन अपलोडेड गूगल इमेज अनुसार खदान कंठाल नदी में स्थित है तथा परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वांछित रेत की पूर्ति (Replenishment) हो रही है जिसका विवरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खनन् योजना में वर्णित है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं—24 के सरल कमांक—01 पर दर्ज है, जिसमें माईनेवल मिनरल पोटेंशियल—2100 घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरुद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 1500 घनमीटर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि संबंधित प्रभारी खनिज अधिकारी ने पत्र कमांक 238

दिनांक 10 / 04 / 23 के माध्यम से सूचित किया है कि अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में अंकित जीपीएस को-आर्डिनेट त्रृटिपूर्ण है । अनुमोदित खनन् योजना के जीपीएस को-आर्डिनेट ही सही है तथा उनको अग्रिम कार्यवाही हेतु मान्य किया जाये एवं उपरोक्तानुसार सही जीपीएस को-आर्डिनेट का संशोधन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में समावेश कर लिया जावेगा । ऑनलाईन अपलोडेड गूगल इमेज अनुसार आवंटित खनन् क्षेत्र के उत्तर-पूर्व दिशा में एक पक्का रोड ब्रिज 210 मीटर पर है तथा खदान ब्रिज के अपस्ट्रीम में हैं जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि पक्का रोड ब्रिज के कारण आवंटित खनन क्षेत्र में 40 मीटर का सेट बेक छोडा गया है जिस कारण लगभग 1.41 हे. का क्षेत्र खनन हेतू उपलब्ध है जो प्रस्तुतीकरण में दर्शाया गया है । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि आंवटित क्षेत्र के कुल 60 प्रतिशत भाग में ही मांइनिंग की जायेगी तथा स्वीकृत मात्रा मात्र 1500 घन मीटर है जो आवंटित क्षेत्र में उपलब्ध है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि रेत का परिवहन पूर्वी दिशा से किया जायेगा । प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि इस खदान की स्वीकृत उत्पादन क्षमता बहुत कम 1800 घन मीटर / वर्ष है, जिस कारण जितने क्षेत्र में खनन् प्रस्तावित किया गया है उसी के समतुल्य वृक्षारोपण योजना परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत की गई है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित राशि उचित प्रतीत होती है क्योंकि उत्पादन क्षमता के आधार पर ही ई.एम.पी. तथा सी.ई.आर. की राशि निर्धारित होना चाहिए ताकि परियोजना प्रस्तावक उसको इस प्रोजेक्ट से प्राप्त होने वाले लाभ से यह कार्य करवा सके। समिति की यह भी अनुशंसा है कि ग्रामवासियों हेतू प्रस्तावित पौधा वितरण कार्य स्वयं परियोजना प्रस्तावक द्वारा किया जार्ये तथा परियोजना प्रस्तावक के पास यह अतिरिक्त विकल्प भी उपलब्ध रहेगा कि वह संपूर्ण वृक्षारोपण स्वतः करें अथवा वन विभाग की सहमति उपरांत उनके माध्यम से ''कनवरजेंस स्कीम'' (संमिलन योजना) के तहत् कराये । यदि परियोजना प्रस्तावक स्वयं संपूर्ण वृक्षारोपण करता है तो उसे उसका रख-रखाव एक वर्ष तक करना होगा तथा आगामी 02 वर्षों के रख-रखाव का दायित्व उस परियोजना प्रस्तावक का होगा जिसको यह खदान भविष्य में आवंटित होगी। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्ती एवं स्टेण्डर्ड शर्ती संलग्नक— बी अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

- 1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत 1500 मी³ प्रति वर्ष।
- 2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 02.10 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 01.20 लाख प्रति वर्ष ।
- 3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.20 .लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	
ग्राम दात्याखेड़ी , धतुरिआ एवं दीवानखेड़ी में कंठाल नदी पर प्रस्तावित तीनो रेत खदानों के लिए सी एस आर के तहत सामाजिक गतिविधि संयुक्त रूप से की जावेगी जिसके अन्तर्गत तहसील सुसनेर के स्वास्थ केंद्र में पदस्थ अधिकारी से परामर्श लेकर जरूरत के हिसाब से उपयोग हेतु सामग्री एवं उपकरण उपलब्ध करवाए जावेंगे ।	20,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 1410 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

क.	वृक्षारोपण हेतु स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा
2.	परिवहन मार्ग (पोड़ों की न्यूनतम् ऊँचाई 01 मीटर)	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः— <i>जामुन, बेलपत्र, जंगल जलेबी,</i> चिरोल, खमेर, आवला, नीम, जंगल जलेबी, सिरसू पीपल, करंज आदि।	50
3.	नदी के किनारे	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:–करंज, कटंग बॉसं , जामुन, कहवा खस, नागर मोथा , पुत्रंजीवा, मौलश्री खमेर आदि।	100
4.	ग्रामीणों में पौधो का वितरण	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः— मुनगा, आम, जामुन, अमरुद, सीताफल, आमला, अनार, निम्बू, कटहल आदि।	1260
		योग	1410

17. Case No 9823/2023 Shri Ummed Gurjar, Proprietor, M/s Aarav Construction Company R/o Gurjar Mohalla, Village-Karadiya Rampuriya, District-Jhalawar (RJ) Prior Environment Clearance for Dhaturia River Sand Quarry in an area of 3.750 ha. (3600 Cum per annum) (Khasra No. 473, 486, 507) Village-Dhaturia, Tehsil-Susner, District-Agar Malwa (MP)

This is case of Sand Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 473, 486, 507) Village-Dhaturia, Tehsil-Susner, District-Agar Malwa (MP) 3.750 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 18/04/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री उम्मेद गुर्जर (ऑनलाईन) उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री रामराघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी., बड़ौदरा, गुजरात उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 178 दिनांक 17/03/2023 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान स्वीकृत/संचालित नहीं होने की जानकारी दी गई है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी—2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने यह पाया कि ऑनलाईन अपलोडेड गूगल इमेज अनुसार खदान कंठाल नदी में स्थित है तथा परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वांछित रेत की पूर्ति (Replenishment) हो रही है जिसका विवरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खनन् योजना में वर्णित है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं—24 के सरल क्रमांक—02 पर दर्ज है, जिसमें माईनेवल मिनरल पोटेंशियल—5040 घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरूद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 3600 घनमीटर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि संबंधित प्रभारी खनिज अधिकारी ने पत्र क्रमांक 240 दिनांक 10/04/23 के माध्यम से सूचित किया है कि अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में अंकित

जीपीएस को—आर्डिनेट त्रृटिपूर्ण है । अनुमोदित खनन् योजना के जीपीएस को—आर्डिनेट ही सही है तथा उनको अग्रिम कार्यवाही हेतु मान्य किया जाये एवं उपरोक्तानुसार सही जीपीएस को—आर्डिनेट का संशोधन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में समावेश कर लिया जावेगा ।

ऑनलाईन अपलोडेड गूगल इमेज अनुसार खनन् क्षेत्र दो भागो में आवंटित है जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खनन् क्षेत्र. के बीच में स्टाप डेम होने के कारण दो भागों में आवंटित है । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि छोटे भाग से खनन् प्रस्तावित नही है । प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि आवंटित खनन् क्षेत्र में से नदी की धारा प्रवाहित हो रही है जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खनन् वह क्षेत्र जहां खनन् नहीं किया जायेगा तथा आवंटित क्षेत्र के 60 प्रतिशत भाग में खनन् कार्य किया जायेगा तथा स्वीकृत मात्रा मात्र 3600 घन मीटर है जो आवंटित क्षेत्र में उपलब्ध है। समिति की यह भी अनुशंसा है कि ग्रामवासियों हेतु प्रस्तावित पौधा वितरण कार्य स्वयं परियोजना प्रस्तावक द्वारा किया जाये तथा परियोजना प्रस्तावक के पास यह अतिरिक्त विकल्प भी उपलब्ध रहेगा कि वह संपूर्ण वृक्षारोपण स्वतः करें अथवा वन विभाग की सहमति उपरांत उनके माध्यम से ''कनवरजेंस स्कीम'' (संमिलन योजना) के तहत् कराये । यदि परियोजना प्रस्तावक स्वयं संपूर्ण वृक्षारोपण करता है तो उसे उसका रख—रखाव एक वर्ष तक करना होगा तथा आगामी 02 वर्षो के रख—रखाव का दायित्व उस परियोजना प्रस्तावक का होगा जिसको यह खदान भविष्य में आवंटित होगी। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक— बी अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:—

- अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत 3600 मी³ प्रति वर्ष।
- 2. पर्योवरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 03.11 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 01.38 लाख प्रति वर्ष ।
- 3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.36 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	
ग्राम धतुरिआ, दात्याखेड़ी एवं दीवानखेड़ी में कंठाल नदी पर प्रस्तावित तीनो रेत खदानों के लिए सी एस आर के तहत सामाजिक गतिविधि संयुक्त रूप से की जावेगी जिसके अन्तर्गत तहसील सुसनेर के स्वास्थ केंद्र में पदस्थ अधिकारी से परामर्श लेकर जरूरत के हिसाब से उपयोग हेतु सामग्री एवं उपकरण उपलब्ध करवाए जावें	,

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 2300 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

क.	वृक्षारोपण हेतु स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा
1.	नदी के किनारे 850 मीटर तक	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:— करंज, कटंग बॉसं , जामुन, कहवा खस, नागर मोथा ,पुत्रंजीवा, मौलश्री खमेर आदि।	200

2.	परिवहन मार्ग (पोड़ों की न्यूनतम् ऊँचाई 01 मीटर)	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:— खमेर, जामुन, जंगल जलेबी, चिरोल, आवला, नीम, जंगल जलेबी, सिस्सू, पीपल, करंज आदि।	150
3.	ग्रामीणों में पौधो का वितरण	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:— मुनगा, आम, जामुन, अमरुद, सीताफल, आमला, अनार, निम्बू आदि।	1950
		योग	2300

18. Case No 9824/2023 Shri Ummed Gurjar, Proprietor, M/s Aarav Construction Company R/o Gurjar Mohalla, Village-Karadiya Rampuriya, District-Jhalawar (RJ) Prior Environment Clearance for Diwankhedi River Sand Quarry in an area of 3.640 ha. (1800 Cum per annum) (Khasra No. 01 & 580) Village-Diwankhedi, Tehsil-Susner, District-Agar Malwa (MP)

This is case of Sand Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 01 & 580) Village-Diwankhedi, Tehsil-Susner, District-Agar Malwa (MP) 3.640 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 18/04/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री उम्मेद गुर्जर (ऑनलाईन) उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री रामराघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी., बड़ौदरा, गुजरात उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 176 दिनांक 17/03/2023 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान स्वीकृत/संचालित नहीं होने की जानकारी दी गई है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी—2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने यह पाया कि ऑनलाईन अपलोडेड गूगल इमेज अनुसार खदान कंठाल नदी में स्थित है तथा परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वांछित रेत की पूर्ति (Replenishment) हो रही है जिसका विवरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खनन् योजना में वर्णित है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं—24 के सरल क्रमांक—03 पर दर्ज है, जिसमें माईनेवल मिनरल पोटेंशियल—2520 घनमीटर उल्लेखित है, जिसके विरुद्ध परियोजना प्रस्तावक द्वारा 1800 घनमीटर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि संबंधित प्रभारी खनिज अधिकारी ने पत्र क्रमांक 236 दिनांक 10/04/23 के माध्यम से सूचित किया है कि अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में अंकित जीपीएस को—आर्डिनेट त्रृटिपूर्ण है । अनुमोदित खनन् योजना के जीपीएस को—आर्डिनेट ही सही है तथा उनको अग्रिम कार्यवाही हेतु मान्य किया जाये एवं उपरोक्तानुसार सही जीपीएस को—आर्डिनेट का संशोधन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में समावेश कर लिया जावेगा ।

ऑनलाईन अपलोडेड गूगल इमेज अनुसार आवंटित खनन् क्षेत्र के उत्तर दिशा में 200 मीटर की दूरी पर एक पक्का रोड ब्रिज अपस्ट्रीम में है जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि रोड ब्रिज के कारण आवंटित खनन क्षेत्र में 50 मीटर का सेटवेक छोड़ा गया है, जिसके पश्चात 01.84 हे. क्षेत्र खनन् हेतु उपलब्ध होगा। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि आंवटित क्षेत्र के कुल 60 प्रतिशत भाग में ही मांइनिंग की जायेगी तथा स्वीकृत मात्रा मात्र 1800 घन मीटर है जो आवंटित क्षेत्र में उपलब्ध है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि रेत का परिवहन पश्चिम दिशा से किया जायेगा । प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि इस खदान की स्वीकृत उत्पादन क्षमता बहुत कम 1800 घन मीटर / वर्ष है, जिस कारण जितने क्षेत्र में खनन् प्रस्तावित किया गया है उसी के समतुल्य वृक्षारोपण योजना परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत की गई है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित राशि उचित प्रतीत होती है क्योंकि उत्पादन क्षमता के आधार पर ही ई.एम.पी. तथा सी.ई.आर. की राशि निर्धारित होना चाहिए ताकि परियोजना प्रस्तावक उसको इस प्रोजेक्ट से प्राप्त होने वाले लाभ से यह कार्य करवा सके। समिति की यह भी अनुशंसा है कि ग्रामवासियों हेतु प्रस्तावित पौधा वितरण कार्य स्वयं परियोजना प्रस्तावक द्वारा किया जाये तथा परियोजना प्रस्तावक के पास यह अतिरिक्त विकल्प भी उपलब्ध रहेगा कि वह संपूर्ण वृक्षारोपण स्वतः करें अथवा वन विभाग की सहमति उपरांत उनके माध्यम से ''कनवरजेंस स्कीम'' (संमिलन योजना) के तहत् कराये । यदि परियोजना प्रस्तावक स्वयं संपूर्ण वृक्षारोपण करता है तो उसे उसका रख-रखाव एक वर्ष तक करना होगा तथा आगामी 02 वर्षो के रख-रखाव का दायित्व उस परियोजना प्रस्तावक का होगा जिसको यह खदान भविष्य में आवंटित होगी। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक-बी अनुसार पूर्व पूर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

- 1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता रेत 1800 मी³ प्रति वर्ष।
- 2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 03.24 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 01.39 लाख प्रति वर्ष ।
- 3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.30 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	
ग्राम दीवानखेड़ी, दात्याखेड़ी एवं धतुरिआ में कंठाल नदी पर प्रस्तावित तीनो रेत खदानों के लिए सी एस आर के तहत सामाजिक गतिविधि संयुक्त रूप से की जावेगी जिसके अन्तर्गत तहसील सुसनेर के स्वास्थ केंद्र में पदस्थ अधिकारी से परामर्श लेकर जरूरत के हिसाब से उपयोग हेतु सामग्री एवं उपकरण उपलब्ध करवाए जावेंगे	

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 2200 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

क.	वृक्षारोपण हेतु स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा

1.	नदी के किनारे	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे :— जामुन, कहवा खस, नागर मोथा, बेलपत्र, जंगल जलेबी, अर्जुन, चिरोल, सीताफल आदि।	150
2.	परिवहन मार्ग (पोड़ों की स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:— सिस्सू, पीपल, नीम ,करंज न्यूनतम् ऊँचाई 01 जामुन, जंगल जलेबी, अर्जुन चिरोल, आदि। मीटर)		100
3.	3. मंदिर के परिसर में स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:— पीपल, नीम , बेलपत्र, जंगल जलेबी, चिरोल, सीताफल आदि।		50
4.	ग्रामीणों में पौधो का वितरण	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसेः— मुनगा, आम, जामुन, अमरुद, सीताफल, आमला, अनार, निम्बू आदि।	1900
		योग	2200

(चंद्र मोहन ठाकुर) सदस्य सचिव

(डॉ. पी.सी. दुबे) अध्यक्ष

Following standard conditions shall be applicable for the mining projects of minor mineral in addition to the specific conditions and cases appraised for grant of TOR:

Annexure- 'A'

Standard conditions applicable to Stone/Murrum and Soil quarries:

- 1. Mining should be carried out as per the submitted land use plan and approved mine plan. The regulations of danger zone (500 meters) prescribed by Directorate General of Mines safety shall also be complied compulsorily and necessary measures should be taken to minimize the impact on environment.
- 2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and fenced from all around the site. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
- 3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded along with annual record of water consumed in sprinkling during Summer (February to May/June) and winter session (October to January) separately.
- 4. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
- 5. Mineral evacuation road shall be made pucca (WBM/black top) by PP.
- 6. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
- 7. Crusher with inbuilt APCD & water sprinkling system shall be installed minimum 100 meters away from the road and 500 meters away from the habitations only after the permissions of MP Pollution Control Board with atleast 04 meters high wind breaking wall of suitable material to avoid fugitive emissions.
- 8. Working height of the loading machines shall be compatible with bench configuration.
- 9. Slurry Mixed Explosive (SME) shall be used instead of solid cartridge.
- 10. The OB shall be reutilized for maintenance of road. PP shall bound to compliance the final closure plan as approved by the IBM.
- 11. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
- 12. Six monthly occupational health surveys of workers for Cardio-vascular & Pulmonary health, vital parameters as prescribed by concerned regulatory authority shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
- 13. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
- 14. To avoid vibration, no overcharging shall be carried out during blasting and muffle blasting shall be adopted. Blasting shall be carried out through certified blaster only and no explosive will be stored at mine site without permission from the competent authority.
- 15. Mine water should not be discharged from the lease and be used for sprinkling & plantations. For surface runoff and storm water garland drains and settling tanks (SS pattern) of suitable sizes shall be provided.
- 16. All garland drains shall be connected to settling tanks through settling pits and settled water shall be used for dust suppression, green belt development and beneficiation plant. Regular de-silting of drains and pits should be carried out.
- 17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
- 18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
- 19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area. PP shall take Socio-economic activities in the region through the 'Gram Panchayat'.
- 20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.

- 21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
- 22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
- 23. All the mines where production is > 50,000 cum/year, PP shall develop its own website to display various mining related activities proposed in EMP & CER along with budgetary allocations. All the six monthly progress report shall also be uploads on this website along with MoEF&CC & SEIAA, MP with relevant photographs of various activities such as garland drains, settling tanks, plantation, water sprinkling arrangements, transportation & haul road etc. PP or Mine Manager shall be made responsible for its maintenance & regular updation.
- 24. All the soil queries, the maximum permitted depth shall not exceed 02 meters below general ground level & other provisions laid down in MoEF&CC OM No. L-11011/47/2011-IA.II(M) dated 24/06/2013.
- 25. The mining lease holders shall after ceasing mining operation, undertake re-grassing the mining area and any other area which may have been disturbed due to their mining activities and restore the land to a condition which is fit for growth of fodder, flora, fauna etc. Moreover, a separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
- 26. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEF&CCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
- 27. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
- 28. Authorization (if required) under Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 should be obtained by the PP if required.
- 29. A display board (in hindi) with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
 - a. Lease owner's Name, Contact details etc.
 - b. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
 - c. Length, breadth, sanctioned depth of mine and mining time.
 - d. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
 - e. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised) and Blasting or Non-blasting.
 - f. Plantation and CER activities.
- 30. Dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
- 31. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out as per submitted plantation scheme and along the fencing seed sowing of Neem, Babool, Safed Castor etc shall also be carried out.
- 32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
- 33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
- 34. Before onset of monsoon season as per submitted plantation scheme fruit bearing species preferably of fodder / native shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by

- PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
- 35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
- 36. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.

Annexure- 'B'

Standard conditions applicable for the Sand Mine Quarries*

- 1. District Authority should annually record the deposition of sand in the lease area (at an interval of 100 meters for leases 10 ha or > 10.00 ha and at an interval of 50 meters for leases < 10 ha.) before monsoon & in the last week of September and maintain the records in RL (Reduce Level) Measurement Book. Accordingly authority shall allow lease holder to excavate only the replenished quantity of sand in the subsequent year.
- 2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
- 3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
- 4. Only registered vehicles/tractor trolleys with GPS which are having the necessary registration and permission for the aforesaid purpose under the Motor Vehicle Act and also insurance coverage for the same shall alone be used for said purpose.
- 5. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
- 6. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
- 7. Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometer (1Km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side, subjected to a minimum of 250 meters on the upstream side and 500 meters on the downstream side.
- 8. Mining depth should be restricted to 3 meters or water level, whichever is less and distance from the bank should be 1/4th or river width and should not be less than 7.5 meters. No in-stream mining is allowed. Established water conveyance channels should not be relocated, straightened, or modified.
- 9. Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to the start of mining.
- 10. PP shall carry out independent environmental audit at least once in a year by reputed third party entity and report of such audit be placed on public domain such audits be placed on public domain through website developed for public interface along with photographs of work done w.r.t. EMP as well as CER.
- 11. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
- 12. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 and Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining, 2020 issued by the MoEF&CC ensuring that the annual replenishment of sand in the mining lease area is sufficient to sustain the mining operations at levels prescribed in the mining plan.
- 13. If the stream is dry, the excavation must not proceed beyond the lowest undisturbed elevation of the stream bottom, which is a function of local hydraulics, hydrology, and geomorphology.
- 14. After mining is complete, the edge of the pit should be graded to a 2.5:1 slope in the direction of the flow.
- 15. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
- 16. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
- 17. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights. All these facilities such as rest shelters, site office etc. Shall be removed from site after the expiry of the lease period.

- 18. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020 and these details should be provided in Annual Environmental Statement.
- 19. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
- 20. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
- 21. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
- 22. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
- 23. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
- 24. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
- 25. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
- 26. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M dated 16/01/2020.
- 27. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
- 28. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
- 29. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
 - g. Lease owner's Name, Contact details etc.
 - h. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
 - i. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
 - j. Minable Potential of sand mine.
 - k. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
 - l. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised)
- 30. Following conditions must be implemented by PP in case of sand mining as per NGT (CZ) order dated 19/10/2020 in OA NO. 66/2020 and SEIAA's instruction vide letter No. 5084 dated 09/12/2020.
 - i. The Licensee must use minimum number of poclains and it should not be more than two in the project site.
 - ii. The District Administration should assess the site for Environmental impact at the end of first year to permit the continuation of the operation.
 - iii. The ultimate working depth shall be 01 m from the present natural river bed level and the thickness of the sand available shall be more than 03 m the proposed quarry site.
 - iv. The sand quarrying shall not be carried out blow the ground water table under any circumstances. In case, the ground water table occurs within the permitted depth at 01 meter, quarrying operation shall be stopped immediately.
 - v. The sand mining should not disturb in any way the turbidity, velocity and flow pattern of the river water.
 - vi. After closure of the mining, the licensee shall immediately remove all the sheds put up in the quarry and all the equipments used for operation of sand quarry. The roads/pathways shall be leveled to let the river resume its normal course without any artificial obstruction to the extent possible.
 - vii. The mined out pits to be backfilled where warranted and area should be suitable landscaped to prevent environmental degradation.
 - viii. PP shall adhere to the norms regarding extent and depth of quarry as per approved mining plan. The boundary of the quarry shall be properly demarcated by PP.

- 31. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the river banks for bank stabilization and to check soil erosion while on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
- 32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
- 33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
- 34. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
- 35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
- 36. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.

Annexure- 'C'

Standard conditions applicable for the Sand deposits on Agricultural Land/ Khodu Bharu Type Sand Mine Quarries*

- 1. Mining should be done only to the extent of reclaiming the agricultural land.
- 2. Only deposited sand is to be removed and no mining/digging below the ground level is allowed.
- 3. The mining shall be carried out strictly as per the approved mining plan.
- 4. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
- 5. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
- 6. The mining activity shall be done as per approved mine plan and as per the land use plan submitted by PP.
- 7. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
- 8. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
- 9. For carrying out mining in proximity to any bridge and/or embankment, appropriate safety zone on upstream as well as on downstream from the periphery of the mining site shall be ensured taking into account the structural parameters, location aspects, flow rate, etc., and no mining shall be carried out in the safety zone.
- 10. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
- 11. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 issued by the MoEF&CC.
- 12. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
- 13. Thick plantation shall be carryout on the banks of the river adjacent to the lease, mineral evacuation road and common area in the village. PP would maintain the plants for five years including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations.

- 14. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
- 15. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
- 16. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
- 17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
- 18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
- 19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
- 20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
- 21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
- 22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
- 23. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
- 24. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
- 25. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
- 26. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
 - m. Lease owner's Name, Contact details etc.
 - n. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
 - o. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
 - p. Minable Potential of sand mine.
 - q. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
 - r. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised)
- 27. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the nearby river banks for bank stabilization and to check soil erosion while dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
- 28. Dense plantation shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
- 29. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out in the first year itself as per submitted plantation scheme.

- 30. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
- 31. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. Plantation in adjoining forest land shall be carried out through concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
- 32. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
- 33. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
- 34. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
- 35. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.

Annexure- 'D'

General conditions applicable for the granting of TOR

- 1. The date and duration of carrying out the baseline data collection and monitoring shall be informed to the concerned Regional Officer of the M.P Pollution Control Board.
- 2. During monitoring, photographs shall be taken as a proof of the activity with latitude & longitude, date, time & place and same shall be attached with the EIA report. A drone video showing various sensitivities of the lease and nearby area shall also be shown during EIA presentation.
- 3. An inventory of various features such as sensitive area, fragile areas, mining / industrial areas, habitation, waterbodies, major roads, etc. shall be prepared and furnished with EIA.
- 4. An inventory of flora & fauna based on actual ground survey shall be presented.
- 5. Risk factors with their management plan should be discussed in the EIA report.
- 6. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
- 7. The EIA document shall be printed on both sides, as far as possible.
- 8. All documents should be properly indexed, page numbered.
- 9. Period/date of data collection should be clearly indicated.
- 10. The letter /application for EC should quote the SEIAA case No./year and also attach a copy of the letter prescribing the TOR.
- 11. The copy of the letter received from the SEAC prescribing TOR for the project should be attached as an annexure to the final EIA/EMP report.
- 12. The final EIA/EMP report submitted to the SEIAA must incorporate all issues mentioned in TOR and that raised in Public Hearing with the generic structure as detailed out in the EIA report.
- 13. Grant of TOR does not mean grant of EC.
- 14. The status of accreditation of the EIA consultant with NABET/QCI shall be specifically mentioned. The consultant shall certify that his accreditation is for the sector for which this EIA is prepared. If consultant has engaged other laboratory for carrying out the task of monitoring and analysis of pollutants, a representative from laboratory shall also be present to answer the site specific queries.
- 15. On the front page of EIA/EMP reports, the name of the consultant/consultancy firm along with their complete details including their accreditation, if any shall be indicated. The consultant while submitting the EIA/EMP report shall give

- an undertaking to the effect that the prescribed TORs (TOR proposed by the project proponent and additional TOR given by the MOEF & CC) have been complied with and the data submitted is factually correct.
- 16. While submitting the EIA/EMP reports, the name of the experts associated with involved in the preparation of these reports and the laboratories through which the samples have been got analyzed should be stated in the report. It shall be indicated whether these laboratories are approved under the Environment (Protection) Act, 1986 and also have NABL accreditation.
- 17. All the necessary NOC's duly verified by the competent authority should be annexed.
- 18. PP has to submit the copy of earlier Consent condition /EC compliance report, whatever applicable along with EIA report.
- 19. The EIA report should clearly mention activity wise EMP and CER cost details and should depict clear breakup of the capital and recurring costs along with the timeline for incurring the capital cost. The basis of allocation of EMP and CER cost should be detailed in the EIA report to enable the comparison of compliance with the commitment by the monitoring agencies.
- 20. A time bound action plan should be provided in the EIA report for fulfillment of the EMP commitments mentioned in the EIA report.
- 21. The name and number of posts to be engaged by the PP for implementation and monitoring of environmental parameters should be specified in the EIA report.
- 22. EIA report should be strictly as per the TOR, comply with the generic structure as detailed out in the EIA notification, 2006, baseline data is accurate and concerns raised during the public hearing are adequately addressed.
- 23. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
- 24. Public Hearing has to be carried out as per the provisions of the EIA Notification, 2006. The issues raised in public hearing shall be properly addressed in the EMP and suitable budgetary allocations shall be made in the EMP and CER based on their nature.
- 25. Actual measurement of top soil shall be carried out in the lease area at minimum 05 locations and additionally N, P, K and Heavy Metals shall be analyzed in all soil samples. Additionally in one soil sample, pesticides shall also be analyzed.
- 26. A separate budget in EMP & CER shall be maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
- 27. PP shall submit biological diversity report stating that there is no adverse impact in- situ and on surrounding area by this project on local flora and fauna's habitat, breeding ground, corridor/ route etc. This report shall be filed annually with six-monthly compliance report.
- 28. The project proponent shall provide the mitigation measures as per MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area" with EIA report.
- 29. LPG gas may be provided for camping labour under "Ujjwala Yojna.
- 30. In the project where ground water is proposed as water source, the project proponent shall apply to the competent authority such as Central Ground Water Authority (CGWA) as the case may be for obtaining, No Objection Certificate (NOC).
- 31. Consideration of mining proposals involving violation of the EIA Notification, 2006, the project proponent shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court of India dated 02/08/2017 in WP © No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause V/s Union of India & others before grant of TOR/EC. The under taking interalia includes commitment of the PP not to repeat any such violation in future as per MoEF&CC OM No. F.NO. 3-50/2017-IA.III (Pt.) dated 30/05/2018.
- 32. The mining project proponents involving violations of the EIA Notification, 2006 under the provisions of S.O. 804 (E) dated 14/03/2017 and subsequent amendments for TOR/EC shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court dated the 2nd August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause versus Union of India and Ors. Before grant of TOR/EC the undertaking inter-alia include commitment of the PP not to repeat any such violation of future. In case of violation of above undertaking, the TOR/Environmental Clearance shall be liable to be terminated forthwith.
- 33. If the allotted land is private land and agricultural practices are being carriedout in the nearby area, the effect of mining on agricultural practices shall be studied and dicussed in the EIA report with the economic value of agricultural produce for last three yaears and details of total land holding of the PP in that district.

- 34. In case of mining on land where the land belongs to Charagah (Grazing) as per P-II form, proposal for development of equal area of land as grazing land shall be submitted with EIA report with its budgetary provisions. This Grazing land can be developed in consultation with DFO or Gram Panchayat of concerned area.
- 35. Under CER scheme commitments with physical targets shall be included in EIA report for:
 - ✓ Proposal for CER activities based upon commitment made during public hearing and COVID-19 pandemic.
 - Activities such as solar panels in school, awareness camps for Oral Hygiene, Diabetes and Blood Pressure, works related to plantation (distribution of fruit & fodder bearing trees) vaccination, cattle's health checkup etc. in concerned village shall be proposed.
 - No fuel wood shall be used as a source of energy by mine workers. Thus proposal for providing solar cookers / LPG gas cylinders under "Ujjwala Yojna" to them who are residing in the nearby villages, shall be considered.
 - PP's commitment that activities proposed in the CER scheme will be completed within initial 03 years of the project and in the remaining years shall be maintained shall be submitted with EIA report.
- 36. Under Plantation Scheme commitments with budgetary allocations shall be included in EIA report for :
 - Comprehensive green belt plan with commitment that entire plantation shall be carried out in the initial three years and will be maintained thereafter with causality replacement. Proposal for distribution of fruit bearing species for nearby villagers shall also be incorporated in the plantation scheme and for which a primary survey for need assessment in concerned village shall be carried out.
 - ✓ Commitment that plantation shall be carried out preferably through Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
 - ✓ Commitment that high density plantation (preferably using "Miyawaki Technique or WALMI technique) shall be developed in 7.5m barrier zone left for plantation through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency.
 - ✓ Commitment that local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land suitable for the purpose through Forest Department/ through Gram Panchayat on suitable community land in the concerned village area.
 - ✓ PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
 - ✓ Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, minimum 50 saplings be planted considering 80% survival.
 - ✓ Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.

FOR PROJECTS LOCATED IN SCHEDULED (V) TRIBAL AREA, following should be studied and discussed in EIA Report before Public Hearing as per the instruction of SEIAA vide letter No. 1241 dated 30/07/2018.

- 37. Detailed analysis by a National Institute of repute of all aspects of the health of the residents of the Schedule Tribal block.
- 38. Detailed analysis of availability and quality of the drinking water resources available in the block.
- 39. A study by CPCB of the methodology of disposal of industrial waste from the existing industries in the block, whether it is being done in a manner that mitigate all health and environmental risks.
- 40. The consent of Gram Sabah of the villages in the area where project is proposed shall be obtained.

खदान क्षेत्र मे किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश :--

- नोट 1:- स्थल विशेष हेत् प्रजातियों के चयन में स्थानीय मुदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए ।
- नोट 2:- विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रूचि रखने वाले स्थानीय जानकारों से राय ली जाने की सलाह है ।
- नोट 3:
 पौधों की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख-रेख, मृदा नमीं को बनाये रखने हेतु मिल्चिंग जल-संरचनाओं का निर्माण, निदाई-गुड़ाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए ।

- नोट 4:— परिवहन मार्ग के किनारे लगाये जाने वाले पेड़ो के चारो ओर ट्री गार्ड होना आवश्यक हैं । इसी प्रकार स्कूल/ ऑगनवाडी/पंचायत भवन इत्यादि में प्रस्तावित वृक्षारोपणों के चारों ओर सुरक्षा के इंतजाम जैसे फेंसिग/ट्री गार्ड आवश्यक रूप से प्रस्तावित किये जाये ।
- नोट 5:- भू—क्षरण स्थल पाये जाने पर भू—संरक्षण का कार्य (विशेष रूप से वाटर चेनल के किनारे तथा उत्पत्ति स्थान पर) किया जाना चाहिए।

नोट 6:- रोपित पौधो का मापदंड एवं अन्य कार्य

क.	स्थल	ऊँचाई न्यूनतम्	गोलाई न्यूनतम्
1.	बैरियर जोन / नॉन माईनिंग क्षेत्र	02.5 — 03.0 फिट	03-05 से. मी.
2.	रोड़ साईड / स्कूल / ऑगनवाडी	03.5 — 05.5 फिट	05—10 से.मी.
3.	पौधों के चारों ओर निदाई—गुड़ाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में)		
	तीन वर्षो तक ।		
4.	आवश्यक्तानुसार सिंचाई एवं प्राथमिकता पर जैविक खाद		

नोट 7 :- बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख-रेख -

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुड़ाई / जुताई उपचार, वर्षा पूर्व रोपण। जामुन, महुँआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (07 दिवस के अंदर) पश्चात् रोपण ।
- अंक्रण पश्चात् ४ से ६ पत्तियाँ आने पर, पौधे के चारों तरफ निदाई-गुड़ाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना।
- बीज रोपण तीन वर्षी तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना ।
- सीड–बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है।

नोट – 8 :- रेत के प्रकरणों में (पौधो की ऊँचाई न्यूनतम् 1.5 मीटर)

1	एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति की दूरी एवं दूसरी से तीसरी पंक्ति शाकीय पौधे जैसे : खस, घास, अगेव स्थानीय घास प्रजातियाँ।	,
2	4 पंक्ति से 5वीं पंक्ति (वृक्ष प्रजाति)	न्यूनतम् दूरी 3 मीटर (पौधों के बीच में दूरी 03 मीटर)
3	6वीं पंक्ति 3.0 से 5.0 मीटर (वृक्ष प्रजाति)	पौधों के बीच में 3 से 5 मीटर

- (चयनित प्रजातियों एवं नदी के किनारों पर भूमि की उपलब्धता को ध्यान में रखकर आवंटित क्षेत्र से बाहरी दिशा में 10 से 15 मीटर की चौड़ाई में हरित पट्टी विकसित किया जाये)
- नोट 9 :- छठी पंक्ति हेतु पौधों की सुरक्षा अवधि न्यूनतम् 3 वर्ष
- जामून, कहवा, कंरज, नीम, पौधों में पौधों की दूरी 2.5 मीटर से 5 मीटर लसोडा, करंज, आम, इत्यादि ।
- नोट प्रथम तीन पंक्तियों के पौधों के मध्य में एक वर्षीय औषधि प्रजातियों का बीच छिडकाव ।

		·
1	पहली, दूसरी, तीसरी पंक्ति हेतु (स्थानीय घांस प्रजातियाँ, खस घास अगेव	
	आदि)	में पौधों से पौधों की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर ।
2	स्थाानीय झाड़ी प्रजाति के पौधे	01 11.6 फीटर
3	चौथी से पॉचवी, छठवीं पंक्ति हेतु बॉस एवं स्थानीय झाड़ी प्रजाति ।	पंक्ति की दूरी 2.5 मीटर से 3 मीटर पंक्ति में
	-	पौधों की दूरी 3 मीटर से 5 मीटर